विनियामक फोरम (एफओआर)

वार्षिक रिपोर्ट
2020-21

वार्षिक रिपोर्ट
2020–21

विनियामक फोरम (एफओआर)

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालयः मार्फत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय और चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष :. 91–11–23753920फैक्स : 91–11–23752958

प्रस्तावना

वर्ष 2020–21 के दौरान, विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करके और महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे के मार्ग पर आम सहमति बनाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा के संवर्धन में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण उपाय किए।

फोरम ने भारत में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विधिक उपबंधों के कार्यान्वयन में चुनौतियों की पहचान करने और सीजीआर तंत्र और प्रदर्शन के मानकों में सुधार सहित उपभोक्ता पक्ष समर्थन बढ़ाने हेतु उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से ''भारत में विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण'' पर एक अध्ययन किया। अध्ययन में उपभोक्ता अधिकारों को सुदृढ़ करने, उपभोक्ता अधिकार के संरक्षण और उपभोक्ता पक्ष समर्थन से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपायों की सिफारिश है। अध्ययन में सभी वितरण कंपनियों/एसईआरसी द्वारा उपभोक्ता चार्टर तैयार करने और वितरण कंपनियों/एसईआरसी द्वारा प्रकाशित चार्टर को सुदृढ़ करने का भी सुझाव दिया गया है।

एफओआर ने खुदरा टैरिफ को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करने और उनसे व्यवहार करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक कार्यकारी समूह का भी गठन किया। कार्यकारी समूह ने विद्युत क्रय लागत के विभिन्न घटकों और खुदरा टैरिफ पर उनके प्रभाव के साथ–साथ विद्युत क्षेत्र से बाहर के विभिन्न कारकों और उत्पादन, पारेषण और वितरण (आंतरिक कारक) की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला और खुदरा टैरिफ पर इन बाहरी और आंतरिक कारकों के प्रभाव का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित किया। यह अध्ययन 12 राज्यों के लिए आयोजित किया गया था, जो देश में खपत की गई कुल ऊर्जा का 50% हिस्सा था। इस रिपोर्ट को एफओआर द्वारा स्वीकार किया गया था और सिफारिशों में कोयला क्षेत्र और रेलवे क्षेत्र के लिए स्वतंत्र विनियामकों की स्थापना , विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर लगाए गए हरित उपकर में कमी, एफजीडी आदि के कार्यान्वयन के कारण खुदरा टैरिफ में वृद्धि को कम करने के लिए विद्युत क्षेत्र से एकत्रित स्वच्छ ऊर्जा उपकर का उपयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फंसे हुए उत्पादन आस्तियों से जुड़ी लागत की शेयरिंग, यूटिलिटीज के प्रदर्शन के साथ आरओई की वसूली को जोड़ना और स्वीकृत आरओई की कैपिंग, बाजार के अधिकतर उपयोग के माध्यम से लागत का इष्टतमीकरण शामिल थे।

इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, किसी क्षेत्र में शामिल व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने ज्ञान के आधार का विस्तार करें और उचित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अपने कौशल को बढ़ाएं। कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए और कर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एफओआर ने सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हितों का संरक्षण'' पर ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम और सभी एसईआरसी/जेईआरसी के विनियामकों और अधिकारियों के लिए ''टैरिफ सेटिंग'' पर कार्यक्रम आयोजित किए।

यह फोरम विद्युत क्षेत्र में सर्वांगीण विकास में बाधा डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों की पहचान करने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ चर्चा में प्रवृत्त है। फोरम द्वारा की गई पहलों की पृष्ठभूमि में, कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अध्ययनों में की गई सिफारिशों को अपनाने का दायित्व मुख्य रूप से एसईआरसी/जेईआरसी पर है और विद्युत क्षेत्र के सतत विकास में सहायता करने के लिए एफओआर की सिफारिशों पर एक विचारशील दृष्टिकोण रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर है। हम, फोरम के अधिदेश को पूरा करने में सभी हितधारकों से निरंतर समर्थन की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय सूची

1. **विनियामक फोरम के बारे में(एफओआर)** **7**

फोरम का गठन 7

फोरम के कार्य 7

फोरम का वित्त 8

मिशन विवरण 8

2. **फोरम की गतिविधियां** **9**

विनियामक फोरम की बैठकें 9

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11,15 और 18 मई और जून, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक 9

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 अगस्त, 2020को आयोजित एफओआर की 72वीं बैठक 9

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 और 29 सितम्बर, 2020को आयोजित एफओआर की 73वीं बैठक 10

पूर्ण किए गए अध्ययन 10

भारत में विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण पर एफओआर की रिपोर्ट 10

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रम 12

3. **वर्ष 2020–21 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (केविविआ/एसईआरसी/जेईआरसी)** **14**

केन्द्रीय विद्युयत विनियामक आयोग 15

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एसईआरसी/जेईआरसी की उपलब्धि 15

4. **राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की स्थिति** **27**

5. **केविविआ, एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची** **30**

6. **एफओआर के वार्षिक लेखा** **31**

केविविआ द्वारा अवधारित उत्पादन टैरिफ 52

एसईआरसी/जेईआरसी द्वारा जारी किए गए टैरिफ आदेशों के जारी करने का समय 61

सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्य पद्धति 65

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल से संबंधित रिक्त पदों का सारांश 65

लोकपाल द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2020 से मार्च 2021 67

सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2020 से मार्च 2021.. 68

1 विनियामक फोरम (एफओआर) के बारे में

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।' विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को वर्ष 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डों में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विद्युत विनियामक आयोगों को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के निर्माण के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया। 1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1998 के अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। 1998 के अधिनियम को तब से विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में, 2003 का अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2003 अधिनियम के आरंभ से, विद्युत विनियामक आयोगों के कृत्यों में, अन्य बातों के साथ, विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका और सरकार को परामर्श देने का कार्य सौंप कर, विस्तार किया गया है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) तथा अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी), 1998 के अधिनियम के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी), जेईआरसी – (मणिपुर एवं मिजोरम), जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) और जेईआरसी (जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख) तथा जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी, 2003 के अधिनियमन के बाद गठित किए गए थे। इस फोरम का गठन, विद्युत क्षेत्र में ईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा निर्मित विनियमों के संगतिकरण के मुख्य उद्देश्य से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) की 16 फरवरी, 2005 की अधिसूचना द्वारा किया गया था।

फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम केपदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थातः–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एकरूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्य निष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्यहित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर करना;
- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;

- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्य कुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

फोरम का वित्त

केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है। केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना

2 फोरम की गतिविधियां

विनियामक फोरम की बैठकें

फोरम ने वर्ष के दौरान पांच वर्चुअल बैठकें आयोजित कीं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 11, 15 और 18 मई और 2 जून, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अनुमानित व्यय और प्रत्याशित आय को दर्शाने वाले विनियामक फोरम के बजट पर चर्चा की गई। तदुपरांत, बजट को मंजूरी दी गई।
- फोरम को लेखा परीक्षक, कर परामर्शदाता और जीएसटी परामर्शदाता को नियुक्त करने की चल रही प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया ।
- फोरम को चल रहे आईटी मामलों की स्थिति के बारे में सूचित किया गया
  1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन आयकर के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का अनुरोध।
  2) निर्धारण वर्ष 2016–2017 (वित्तीय वर्ष 2015–16) के लिए एफओआर के जुर्माना का मामला
- एफओआर ने फीस संरचना और अन्य तौर–तरीकों पर काम करने के लिए एफओआर का कार्यकारी समूह के गठन को अनुमोदित किया। फोरम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में आयोजित किए जाने वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और अध्ययनों को अनुमोदन दिया।
- ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी के कारण निवेश अनुमोदन/अनंतिम टैरिफ के संबंध में विद्युत मंत्रालय के संदर्भ पर चर्चा की गई और फोरम ने प्राथमिकता के आधार पर याचिकाओं के निपटान की आवश्यकता को नोट किया।
- फोरम को निम्नलिखित की स्थिति पर भी अवगत किया गया था
  1) एसईआरसीएस/जेईआरसीएस में ई–कोर्ट का कार्यान्वयन
  2) मध्यम अवधि के लिए विद्युत की खरीद हेतु मानक बोली दस्तावेजों के संदर्भ में एफओआर का कार्यकारी समूह
- फोरम ने ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल, 2020 पर भी विचार–विमर्श किया

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 17 अगस्त, 2020 को आयोजित एफओआर की 72वीं बैठक

बैठक के दौरान,

- फोरम ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा को मंजूरी दी।
- दीर्घकालिक संविदाओं में एनटीपीसी/एसईसीआई द्वारा प्रभारित व्यापार मार्जिन पर पीएसईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर चर्चा की गई और यह सहमति हुई कि एसईआरसी, एमएनआरई से संपर्क कर सकते हैं और एमएनआरई से बोली दिशानिर्देश/मानक बोली दस्तावेज में व्यापार मार्जिन को अपफ्रंट के रूप में शामिल न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- फोरम ने ड्राफ्ट केविविआ पावर बाजार विनियम, 2020 पर चर्चा की।
- फोरम ने उपभोक्ता संरक्षण पर एफओआर अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार किया। चर्चा के बाद, फोरम ने परामर्शदाता को एफओआर के सुझावों को शामिल करने का सुझाव दिया। इस प्रकार के सुझावों को शामिल करने के अध्यधीन, एफओआर ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को अनुमोदित किया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 और 29 सितम्बर, 2020 को आयोजित एफओआर की 73वीं बैठक

- फोरम ने सदस्यता फीस के मामले की जांच करने और एक उपयुक्त फीस संरचना का सुझाव देने के लिए कार्यकारी समूह की सिफारिशों को मंजूरी दी और दो वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22) के लिए प्रति सदस्य 4 लाख रुपये की पुनरीक्षित सदस्यता फीस का भी समर्थन किया।
- फोरम ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए पुनरीक्षित बजट को मंजूरी दी और वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति से पहले वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट की समीक्षा करने का निर्णय लिया।
- एफओआर ने विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पर चर्चा की। विचार–विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित नियमों पर एफओआर की प्रतिक्रिया, डीईआरसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एफओआर सदस्यों की समिति द्वारा तैयार की जाएगी और इसमें यूपीईआरसी, ओईआरसी, टीईआरसी, डब्ल्यूबीईआरसी और जीईआरसी के अध्यक्ष शामिल होंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 16 अक्तूबर, 2020 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

फोरम ने खुदरा विद्युत टैरिफों को प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित मुद्दों पर डब्ल्यूबीईआरसी के संदर्भ पर चर्चा की। चर्चा के बाद, अध्यक्ष के रूप में पीएसईआरसी के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु और जेईआरसी (गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों) के ईआरसी के अध्यक्षों को सम्मिलित करते हुए एक कार्यकारी समूह का गठन करने का निर्णय लिया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 27 फरवरी, 2020 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक

फोरम ने ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2021 पर चर्चा की।

पूर्ण किए गए अध्ययन

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एफओआर द्वारा किए गए अध्ययनों और अध्ययन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर निम्नलिखित अनुभागों में चर्चा की गई है:

भारत में विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण पर एफओआर की रिपोर्ट

उपभोक्ताओं के अधिकारों का विवरण, विद्युत अधिनियम, टैरिफ नीति, राज्य विनियमों, टैरिफ आदेशों आदि में दिया गया है। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण की आवश्यकता को विद्युत अधिनियम के एक अभिन्न अंग के रूप में परिकल्पित किया गया है और उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए उनके संबंधित राज्यों में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल की एक औपचारिक प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए उपबंधों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न वितरण कंपनियों/एसईआरसी ने, नागरिक चार्टर और प्रदर्शन के मानक विनियमों को आरंभ किया है। राज्यों में एसओपी विनियमों की समीक्षा, मुआवजे की लागू राशि (वितरण कंपनियों द्वारा एसओपी के गैर–अनुपालन के लिए) के साथ–साथ मानकों के स्तर में व्यापक भिन्नता पर प्रकाश डालती है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा मुआवजा तंत्र, एसओपी मापदंडों के गैर–अनुपालन की स्थिति में, उपभोक्ता पर वितरण कंपनियों से मुआवजे का दावा करने का दायित्व डालता है। इसके अतिरिक्त, मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया, सीजीआरएफ तक शिकायत को ले जाने की संभावित आवश्यकता के साथ, उपभोक्ताओं के लिए सामान्यतः लंबी और समय लेने वाली हो सकती है। एफओआर ने उपभोक्ता शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण की समीक्षा की स्थिति के लिए यह अध्ययन किया। इस रिपोर्ट में, उपभोक्ता हितों के संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा और विश्लेषण किया गया है, और मोटे तौर पर तीन मुख्य शीर्षों अर्थात् उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण तंत्र और उपभोक्ता वकालत के अधीन वर्गीकृत किया गया है। राज्यों में विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में विभिन्न विनियमों की समीक्षा और उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, भारत के विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण में वृद्धि और सुधार के लिए निम्नलिखित उपायों की पहचान की गई है। इन सुझावों को, तीन व्यापक पहलुओं में वर्गीकृत किया गया है और निम्नलिखित तालिका में संक्षेपित किया गया है:

क्रमांक	सुझाव	विवरण	सर्वोत्तम प्रथाएं
		उपभोक्ता अधिकार	
1	विस्तृत उपभोक्ता चार्टर/दस्तावेज	सभी प्रासंगिक विनियमों और आदेशों के उपबंधों को सम्मिलित करते हुए, सुसंगत दस्तावेज को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है	1. एमएसईडीसीएल के नागरिक चार्टर को सम्मिलित करते हुए सुसंगत दस्तावेज को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है 2. सभी प्रासंगिक विनियमों और आदेशों से स्थानीय उपभोक्ताओं उपबंधों के लिए फिलीपींस ईआरसी मैग्ना कार्टा
2	एसओपी गैर–अनुपालन के लिए मुआवजे का ऑटोमैटिक क्रेडिट	उपभोक्ता शिकायतों या मानकों के समाधान के लिए समय–सीमा का पालन न करने की स्थिति में उपभोक्ताओं को मुआवजे का ऑटोमैटिक क्रेडिट	यूनाइटेड किंगडम में एसओपी को पूरा करने में विफलता के लिए ऑटोमैटिक भुगतान
3	एसओपी अनुपालन निगरानी	1. एसओपी रिपोर्टिंग कठोर प्रवर्तन 2. एसओपी अनुपालन के तृतीय पक्षकार की लेखापरीक्षा	फिलीपींस में प्रदर्शन मूल्यांकन और लेखा परीक्षा (पीएए)
		उपभोक्ता अधिकार संरक्षण	
4	वितरण कंपनियों में सीजीआरएफ की संख्या के लिए मानदंड	एसईआरसी को जिलों, संभागों, क्षेत्र, उपभोक्ता की संख्या आदि जैसे मानकों के आधार पर सीजीआरएफ की न्यूनतम संख्या के लिए मानदंड परिभाषित करने चाहिए।	उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में विनियम, स्थापित किए जाने वाले सीजीआरएफ की न्यूनतम संख्या निर्दिष्ट करते हैं
5	स्वतः वृद्धि के साथ एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली	1. शिकायतों की प्रभावी निगरानी और डाटा विश्लेषण की सुविधा प्रदान करना 2. प्रणाली में केवल एक बार शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा	1. आईआरडीएआई और आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल द्वारा आईजीएमएस 2. असम सीजीआरएफ विनियमों में सीजीआरएफ में स्वतः वृद्धि
6	सीजीआरएफ/लोकपाल में शिकायतों का विश्लेषण	शिकायतों की प्रकृति, स्थिति, लिए गए समय आदि के संबंध में शिकायतों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एसईआरसी के भीतर समर्पित सेल।	1. यूपीईआरसी, शिकायतों का सीजीआरएफ वार विवरण प्रदान करता है 2. बैंकिंग लोकपाल की वार्षिक रिपोर्ट
7	ऑनलाइन विवाद समाधान	सीजीआरएफ और लोकपाल की पहुंच बढ़ा सकता है और साथ ही विवाद के समाधान के लिए लागत और समय को कम कर सकता है	कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश लोकपाल और महाराष्ट्र सीजीआरएफ द्वारा ऑनलाइन सुनवाई
		उपभोक्ता का पक्ष समर्थन	
8	उपभोक्ता संतुष्टि सर्वेक्षण/बेंचमार्किंग	एसईआरसी के भावी विनियामक कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए, आने वाली समस्याओं पर उपभोक्ताओं का समर्थन करने के लिए	1. संयुक्त राज्य अमेरिका में जेडी पावर सर्वेक्षण 2. यूनाइटेड किंगडम में जीएफके सर्वेक्षण
9	उपभोक्ता शिक्षण योजना पर एसईआरसी की मंजूरी	वार्षिक उपभोक्ता शिक्षण योजना वितरण कंपनियों द्वारा तैयार की जा सकती है और एसईआरसी द्वारा अनुमोदित की जा सकती है	दूरसंचार प्रचालकों द्वारा उपभोक्ता आउटरीच कार्यक्रम को भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की मंजूरी
10	जिलों में उपभोक्ता प्रतिनिधि	1. शिकायत करने के लिए उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन और समर्थन के लिए 2. एसईआरसी की विनियामक कार्यवाही में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं	यूनाइटेड किंगडम में उपभोक्ता चुनौती समूह
11	एसईआरसी में उपभोक्ता पक्ष समर्थन प्रकोष्ठ का प्रचालन	गतिविधियों की एक वार्षिक योजना बनाकर उपभोक्ता शिक्षण के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जा सकते हैं	

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विनियामक फोरम (एफओआर) के प्रमुख दायित्वों में से एक विद्युत नियामक आयोगों (ईआरसी) के कर्मियों का क्षमता निर्माण है। फोरम द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में निम्नलिखित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1. सीजीआरएफ के अधिकारियों और एसईआरसी/जेईआरसी के लोकपाल के लिए ''उपभोक्ता हितों का संरक्षण'' पर चार दिवस का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 19 फरवरी, 2021 को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शामिल किए गए प्रमुख विषय निम्नानुसार हैं:
   - विनियामक ढांचे की भूमिका और उपभोक्ता पक्ष समर्थन को संस्थागत बनाना
   - उपभोक्ता शिकायतों को संभालने की क्रियाविधि
   - उपभोक्ता शिक्षण सशक्तिकरण और वित्त पोषण के लिए संभावित विकल्प और रणनीतियाँ
   - विद्युत अधिनियम, 2003 और उपभोक्ता हितों के संरक्षण पर बल देने वाले सक्षमकारी विनियामक उपबंध
   - उपभोक्ता सशक्तिकरण और शिकायत निवारण तंत्र
   - विद्युत क्षेत्र के उपभोक्ताओं से संबंधित संवैधानिक कानून और कुछ ऐतिहासिक निर्णय
   - ग्राहक सेवा प्रथाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
   - सीजीआरएफ और लोकपाल के समक्ष उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे
2. ''विद्युत क्षेत्र में टैरिफ सेटिंग – उत्तम प्रथाएं और उभरते विनियामक परिदृश्य'' पर ईआरसी के अधिकारियों के लिए 14वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 1 से 3 मार्च, 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शामिल किए गए प्रमुख विषय निम्नानुसार हैं:
   - टैरिफ अवधारण के लिए विनियामक दृष्टिकोण का अर्थशास्त्र
   - रेट–ऑफ–रिटर्न विनियम ढांचे के अधीन उत्पादन टैरिफ निर्धारण
   - पारेषण टैरिफ – अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग विनियम
   - वितरण टैरिफ प्रक्रिया – बहु–वर्ष टैरिफ और ट्रूइंग–अप
   - दीर्घकालिक मांग पूर्वानुमान और विद्युत खरीद योजनाः उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का केस अध्ययन
   - विद्युत क्षेत्र के विनियमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव
   - भावी विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक नवोन्मेष
   - विनियामक बुद्धिशीलता सत्र
   - वास्तविक समय बाजार और उभरते बाजार का विकास
   - आरई क्षेत्र में नए विकास और भविष्य के दृष्टिकोण
   - उपभोक्ता हितों का संरक्षणः संस्थागत दृष्टिकोण और प्रदर्शन के अभ्यास मानक – कार्यान्वयन और विनियामक चुनौतियां

3. एसईआरसी के अध्यक्षध्सदस्य के लिए तीसरा वैश्विक विनियामक परिप्रेक्ष्य कार्यक्रम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा 4–5 मार्च, 2021 और 11–12 मार्च, 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान शामिल प्रमुख विषय निम्नानुसार हैं:

- स्मार्ट ग्रिड, ईवी और आरई को आत्मसात करने के लिए नए विनियामकप्रतिमान
- वितरण और खुदरा उपभोक्ता के टैरिफ का डिजाइन
- खुदरा प्रतिस्पर्धा का आरंभः विनियामक मुद्दे और यूके (और यूरोपीय देशों) से सबक
- यूके में वितरण नेटवर्क के लिए प्रोत्साहन विनियमन का विकासः ए जर्नी टू आरआईआईओ
- नवीकरणीय समृद्ध भविष्य के लिए क्षमता बाजार और संसाधन पर्याप्तता
- विद्युत क्षेत्र के विनियमन के साथ अंतर्राष्ट्रीय अनुभव
- भावी विद्युत क्षेत्र के लिए विनियामक नवोन्मेष

3 वर्ष 2020–21 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकायों की उपलब्धियां (केविविआ/एसईआरसी/जेईआरसी)

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के संदर्भ में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2020 को अधिसूचित किया। इस विनियम का मुख्य उद्देश्य, अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग हेतु क्रियाविधि विनिर्दिष्ट करना है। इस विनियम का उपयोग पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त विनियम से पूर्व, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्य कारोबार के लिए पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग) विनियम, 2007 प्रभाव में था। आयोग ने इस विनियम को पारेषण आस्तियों के उपयोग से प्राप्त राजस्व की शेयरिंग के विनियामक ढांचे को संशोधित करने के लिए एकत्रित अनुभव के आधार पर उपबंधों की समीक्षा करने के बाद निरस्त किया है। यह विनियम, 17 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था।

आयोग ने दिनांक 4.5.2020 की अधिसूचना सं. एल–1/250/2019/केविविआ द्वारा मौजूदा शेयरिंग विनियम 2010 के अधिक्रमण में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग), 2020 को अधिसूचित किया। विनियम दिनांक 1.11.2020 से प्रवृत्त हुआ। विनियमों में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

(i) नामित आईएसटीएस ग्राहकों (डीआईसी) द्वारा अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के पारेषण प्रभारों की शेयरिंग की पद्धति।

(ii) उत्पादन स्टेशन और पारेषण प्रणाली में विलंब के मामले में पारेषण प्रभारों का व्यवहार

(iii) पारेषण प्रभारों के संघटक: डीआईसी के लिए पारेषण प्रभारों के निम्नलिखित संघटक होंगे:

क) राष्ट्रीय संघटक (एनसी): राष्ट्रीय संघटक के अधीन कवर किए गए घटकों को अखिल भारतीय अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच सहित आदेशिती डीआईसी और अंतः क्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सहित दीर्घकालिक पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाता है।

ख) प्रादेशिक संघटक (आरसी): प्रादेशिक संघटक के अधीन कवर किए गए घटकों को प्रादेशिक अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच सहित आदेशिती डीआईसी और अंतः क्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी मध्यकालिक निर्बाध पहुंच सहित दीर्घकालित पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच की मात्रा के अनुपात में शेयर किया जाता है।

ग) ट्रांसफार्मर संघटक (टीसी): इसमें संबंधित राज्य द्वारा विद्युत के आहरण के लिए नियोजित आईसीटीकेवाईटीसी सम्मिलित होते हैं और संबंधित राज्य में स्थित आदेशिती डीआईसी द्वारा दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अनुपात में शेयर किए जाते हैं।

घ) एसी प्रणाली संघटक (एसीसी): इस संघटक में उपर्युक्त कवर किए गए के अलावा पारेषण प्रणाली का शेष वाईटीसी सम्मिलित होते हैं। इसे और आगे निम्नलिखित दो संघटकों में विभाजित किया जाता है, अर्थात् उपयोग आधारित संघटक (एसी–यूबीसी) और शेष संघटक (एसी–बीसी)। एसी–यूबीसी, डीआईसी द्वारा पारेषण लाईनों के संबंधित उपयोग के संबंध में शेयर किए जाने वाले वाईटीसी के भाग के अनुरूप होते हैं और एसी–बीसी में एसी–यूबीसी के अवधारण के बाद एसीसी से शेष वाईटीसी सम्मिलित होता है और आदेशिती डीआईसी और अंतः क्षेपण डीआईसी द्वारा क्रमशः उनकी दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच और अव्यवस्थित दीर्घकालिक पहुंच के अनुपात में शेयर किया जाता है।

आईएसटीएस के लिए पारेषण हानियों की संगणना, कार्यान्वयन एजेंसी (एनएलडीसी) द्वारा प्रत्येक सप्ताह के लिए अखिल भारतीय औसत के आधार पर की जाएगी। कार्यान्वयन एजेंसी, बिलिंग माह के लिए आदेशिती डीआईसी और खुले एलटीए के साथ अंतःक्षेपण करने वाली डीआईसी द्वारा देय पारेषण प्रभारों को रुपये के संदर्भ में प्रकाशित करेगी। केन्द्रीय पारेषण कंपनी, पारेषण प्रणाली के लिए प्रथम बिल के पारेषण प्रभार एकत्र करेगी और इस एकत्र की गई राशि को अंतर–राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों और अंतःराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके वार्षिक पारेषण प्रभारों के अनुपात में वितरित करेगी।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020: ये विनियम उन सभी मामलों में लागू होते हैं जहां ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर आधारित उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई को, अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित धारा 79(1)(क) और (ख) के अधीन कवर किया गया है। विनियमों की नियंत्रण अवधि दिनांक 01.07.2020 से 31.03.2023 तक होगी। नियंत्रण अवधि के दौरान आरंभ की गई नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए इन विनियमों के अनुसार अवधारित टैरिफ, ऐसी आरई परियोजना की टैरिफ अवधि के लिए वैध रहेगा जो उनके उपयोगी जीवन के समान होगा। ये विनियम आरई परियोजनाओं के लिए वित्तीय और तकनीकी मानदंडों सहित मानदंडों को विनिर्दिष्ट करते हैं। ये विनियम दिनांक 01.07.2020 से प्रवृत्त हुए।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने 2 जनवरी 2020 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 जारी किया।

केविविआ ने 25 मार्च 2020 को केविविआ (व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन व शर्तें और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020 में संशोधनों को अधिसूचित किया है। ये संशोधन, विद्युत संव्यवहारों की बैंकिंग के संबंध में व्यापार मार्जिन और अल्पकालिक संविदाओं के संबंध में साख पत्र के मूल्य से संबंधित हैं।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ) को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 की उप–धारा (2) के खंड (ध) के संदर्भ में टैरिफ निबंधन व शर्तें तैयार करना अधिदेशित है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के खंड (2) के उप–खंड (ध) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, आयोग ने 7 मार्च, 2020 को मूल विनियमों अर्थात् केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2019 को अधिसूचित किया था। तदुपरांत, आयोग ने 25 अगस्त, 2020 को मूल विनियमों, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 में संशोधन को अनुमोदित किया।इन विनियमों में संशोधन, प्रमुख रूप से दिनांक 7 दिसम्बर, 2015 के पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2015 द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने वाले कोयले या लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशन विद्युत संयंत्रों में संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली पर लागू प्रतिपूरक टैरिफ के अवधारण के लिए पद्धति की व्यवस्था करना है। इन विनियमों में कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल उत्पादन स्टेशनों में संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के लिए वित्तीय मानकों, तकनीकी मानकों और प्रतिपूरक टैरिफ की वसूली के ढंग की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, कुछ संशोधन शामिल किए गए हैं जो उत्पादन स्टेशनों और पारेषण प्रणाली पर लागू होते हैं। ये विनियम, उत्पादन स्टेशनों और अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु प्रवृत्त होंगे। उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के प्रतिपूरक टैरिफ का अवधारण, उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली के आरंभ होने से लेकर दिनांक 31.03.2024 तक किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2021–21 के दौरान एसईआरसी/जेईआरसी की उपलब्धि

मुख्य विनियामक हस्ताक्षेप

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान एफओआर के अन्य सदस्य अर्थात राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों ने विभिन्न विनियमों को अधिनियमित किया। राज्य विद्युत क्षेत्र की विद्युत उपलब्धि के महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले कुछ विनियमों के ब्योरों पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

1) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) मार्गनिर्देश 2020

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने 19 अक्तूबर, 2020 को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) मार्गनिर्देश 2020 जारी किया ताकि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) मार्गनिर्देश 2019 को संशोधित किया जा सके। संशोधन के अनुसार, वाक्यांश (2) वर्चुअल नेट मीटरिंग फ्रेमवर्क आवासीय उपभोक्ताओं, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, सरकारी/स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय के लिए लागू होगा और मुख्य मंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना के अधीन पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को वर्चुअल नेटवर्क मीटरिंग (2) के साथ प्रतिस्थापित किया गया और यह घरेलू श्रेणी के अधीन उपभोक्ताओं के लिए और अस्पताल, कॉलेज, स्कूल, धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही या प्रबंध की जा रही अन्य संस्थाओं, गैर लाभकारी संस्थाओं/न्यास जो घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी के अधीन कवर नहीं किए गए, उन जैसे उपभोक्तओं के लिए भी लागू होंगे और मार्गनिर्देश 3(2) के अधीन मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना के अधीन पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के लिए भी लागू होंगे, जो वर्चुअल नेट मीटरिंग की प्रयोज्यता को विनिर्दिष्ट करते हैं।

2) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (द्वितीय संशोधन) मार्गनिर्देश 2020

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने 24 दिसंबर, 2020 को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (द्वितीय संशोधन) मार्गनिर्देश 2020 जारी किया ताकि दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) 2020 को संशोधित किया जा सके जिसे दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ग्रुप नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (प्रथम संशोधन) मार्गनिर्देश 2020 को 19 अक्तूबर, 2020 का संशोधित किया। दूसरे संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित परिवर्तनों को कार्यान्वित किया:

(क) "सरकारी/स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय" वाक्यांश को मार्गनिर्देश 3(2) में जोड़ा गया है। जो वर्चुअल नेट मीटरिंग की प्रयोज्यता को विनिर्दिष्ट करता है और तदनुसार मार्ग निर्देश को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

"(2) वर्चुअल नेट मीटरिंग फ्रेमवर्क धर्मार्थ संस्थाओं, गैर लाभकारी संगठन/न्यास द्वारा चलाई जा रही या प्रतिबंधित अन्य संस्थाओं, अस्पताल, कॉलेज, स्कूल जैसे उपभोक्ताओं, घरेलू श्रेणी के अधीन उपभोक्तओं के लागू होगा जो घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी, सरकारी/स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालय और मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी योजना के अधीन पंजीकृत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के अधीन कवर नहीं होते।"

3) मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक अनिवार्य विभवसनीयता सेवा प्रचालन) विनियम 2020

मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने 31.07.2020 को अंतः–राज्यिक अनिवार्य विश्वसनीयता सेवा प्रचालन विनियम 2020 संशोधित किया। विनियमों का उद्देश्य राज्य में विद्युत आपूर्ति और मांग का संतुलन, अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली में संकुलता को मुक्त करना और रिजर्व को शामिल करते हुए विद्युत का प्रेषण करना है। विनियम अल्पकालिक निर्बाध पहुंच या मध्यकालिक पहुंच या दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के माध्यम से किए गए संव्यवहारों में शामिल अंतःराजियक इकाइयों (हाइड्रो एवं नवीकरणीय उत्पादकों से भिन्न) के लिए लागू होंगे। इन विनियमों के अनुसार

i) सभी एमईपीसीएल उत्पादन केन्द्र अंतःराज्यिक अनिववार्य विश्वसनीयता सेवाओं में सहभागिता के लिए पात्र होंगे जिनका टैरिफ उनकी पूर्ण क्षमता के लिए आयोग द्वारा अवधारित या अंगीकृत किया जाता है। इसके अलावा अन्य राज्य उत्पादन केन्द्र जिनका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित या अंगीकृत नहीं किया जाता है, उन पर सहभागिता के लिए विचार किया जा सकता है लेकिन समेकित टैरिफ 303.04 पैसे/किलोवाटघण्टे के रूप में माना जाएगा।

ii) नोडल एजेंसी (प्रणाली प्रचालन/भार प्रेषण केन्द्र/एमईपीटीसीएल) प्रत्येक टाइमब्लॉक में परवर्ती लागत पर

विचार करते हुए, रैम्प अप या रैम्प डाउन दर, अनुक्रिया समय, विस्तृत क्रियाविधि में निर्धारित इस प्रकार के अन्य पैरामीटरों और पारेषण संकुलता पर विचार करते हुए अनपेक्षित अधिशेष क्षमताओं के रेगुलेशन अप और रेगुलेशन डाउन के लिए मैरिट क्रम स्टेक तैयार करेगा।

iii) अनिवार्यता विश्वसनीयता सेवा प्रदायक मासिक आधार पर नोडल एजेंसी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगाः क) ओवर लोड (पीएमएएक्स) सहित अधिकतम संभावित एक्स बस उत्पादन (मेगावाट) ख) न्यूनतमक टर्न डाउन स्तर (एमडब्ल्यू) (पीएमआईएन) ग) ईंधन के प्रकार घ) नियत लागत (एक डेसिमल स्थान तक पैसे/किलोवाट घण्टे) ङ) ऊर्जा प्रभार दर (एक डेसिमल स्थान तक पैसे/किलोवाट घण्टे) च) प्रत्येक यूनिट 5 के लिए रैम्प अप दर (मेगावाट/मिनट) छ) प्रत्येक यूनिट के रैम्प डाउन दर (मेगावाट/मिनट) ज) कोल्ड स्टार्ट से स्टार्ट अप टाइम (मिनट में) झ) वार्मस्टार्ट स्टार्टअप टाइम (मिनट में) ञ) सिंक्रानाइजेशन के बाद यूनिट के लिए न्यूनतम अप टाइम (मिनट में) ट) गैर सिंक्रानाइजेशन के बाद यूनिट के लिए न्यूनतम डाउन टाइम (मिनट में) ठ) यूनिटों की अधिकतम संख्या जिसे साथ साथ स्टार्ट अप किया जा सकता है। ड) कोई अन्य सूचना/दबाव।

iv) अनुसूचीकरण परिदृश्य के लिए प्रेषित उत्पादन की मात्रा संबंधित ईआरएस प्रदायक (प्रदायकों) की अनुसूची में प्रत्यक्ष रूप से शामिल की जाएगी और वर्चुअल सहायक इकाई में अनुसूचित किया जाएगा।

v) ऊर्जालेखांकन इंटरफेस मीटर डाटा और अनुसूची पर आधारित राज्य विचलन व्यवस्थापन लेखा सहित साप्ताहिक आधार पर नोडल एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

vi) ईआरएस प्रदायक (प्रदायकों) को भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन पूल लेखा निधि से किया जाएगा। दो प्रकार के पूल हो सकते हैं। एक ज़ीरो शेष पूल और दूसरा व्यवस्थापन के बाद अवशिष्ट राशि वाला पूल होगा।

vii) ज़ीरों शेष (तटस्थ राजस्व के रूप में भी अभिज्ञात) पूल के मामले में, राज्य डीएसएम पूल से या को ईआरएस के अधीन भुगतान पूल संतुलन के भाग के रूप में माना जाएगा और तदनुसार प्रति देय और प्राप्य बराबर किया जाएगा।

viii) गैर ज़ीरो शेष पूल के मामले में ईआरएस के लिए व्यवस्थापन पूल के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। घाटा पूल के मामले में ईआरएस के अधीन प्रेषण पर विचार नहीं किया गया है।

ix) रेगुलेशन अप सेवाओं के लिए ईआरएस प्रदायक (प्रदायकों) को पूल से अनुसूचित ईआरएस की मात्रा के लिए आयोग द्वारा यथानिर्णित उनकी परवर्ती प्रभारों पर अदा किया जाएगा। बशर्ते कि परवर्ती प्रभार आयोग द्वारा किया जाएगा और ईआरएस की डिलीवरी के समय पर लागू को इस सेवा के लिए भुगतान की संगणना के लिए प्रयुक्त किया जाएगा और परवर्ती प्रभारों का कोई भी पूर्वव्यापी व्यवस्थापन नहीं किया जाएगा यदि परवर्ती प्रभारों को बाद की तारीख पर संशोधित किया जाता है।

x) रेगुलेशन डाउन सेवा के लिए ईआरएस प्रदायक (प्रदायकों) को अनुसूचित रेगुलेशन डाउन सेवा की माना की तदनुरूपी परवर्ती प्रभारों के पेबैक किया जाएगा और उप अधिकतम प्रचालन के कारण पूल हानि फैक्टर की जाएगी।

xi) कोई प्रतिबद्धता प्रभार ईआरएस के लिए उनको उपलबध करवाने के लिए ईआरएस प्रदायक (प्रदायकों) को नहीं दिए जाएंगे।

4) बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक उपलब्धता आधारित टैरिफ और विचलन व्यवस्थापन तंत्र) विनियम 2020 को अधिसूचित कियाः

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 40 के खण्ड ग के उपखण्ड (i), धारा 39 के उपधारा 2 के खण्ड घ के उपखण्ड (i) के साथ पठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (विनियम बनाने के लिए राज्य आयोग की शक्ति) 02 जून, 2020 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अंतःराज्यिक उपलब्धता आधारित टैरिफ और विचलन व्यवस्थापन तंत्र) विनियम 2020 को अधिसूचित किया। इन विनियमों का उद्देश्य इन तरीकों से विभिन्न राज्यों की इकाइयों की कार्यप्रणाली को कवर करना है जो इस प्रकार के राज्य इकाइयों द्वारा ऊर्जा के अंतःक्षेपण और निकासी के संबंध में रखा जाता है और विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता और निष्ठा को बनाए रखा जाता है। इस विनियम में यह निर्धारित किया गया है

कि एबीटी क्षेत्र के अधीन टैरिफ के तीन संघटक होंगे अर्थात क्षमता प्रभार, ऊर्जा प्रभार और विचलन व्यवस्थापन प्रभार होंगे। विनियम में डीएसएम तंत्र में सहभागिता के लिए राज्य इकाइयों द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ पर्वू शर्तों को निर्धारित किया गया है। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि सभी टाइम ब्लॉक के लिए विचलन के लिए प्रभारों को विक्रेता द्वारा अंतःक्षेपण के अधीन और क्रेता द्वारा अधिक आहरण के लिए प्रतिदेय होगा और विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण और क्रेता द्वारा कम आहरण के लिए प्राप्य समय से यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम 2014 में विनिर्दिष्ट मूल दर पर टाइमब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर किया जाएगा।

परन्तु कि:

i) अनुसूची की 12% की अधिकता में या एक्स मेगावाट, जो भी कम हो, में टाइमब्लॉक में क्रेता द्वारा कम आहरणों के लिए विचलन के लिए प्रभार ज़ीरो होगा।

परन्तु कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) सहित क्रेताओं की मेगावाट की मात्रा सीमा (एक्स) निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

क) न्यूनतम अनुसूची का (12%) (वितरण अनुज्ञप्तिधारी या क्रेता 1 एनसीपीडी की पीक मांग) राज्य मात्रा सीमा की पीक मांग या

जहां एनसीपीडी (गैर सह आकस्मिक पीक मांग) निम्नलिखित उपखण्ड (ग) के अधीन निर्धारित शर्त के अध्याधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) (क्रेताओं) की पीक मांग के योग को दर्शाता है।

ख) राज्य मात्रा सीमा केविविआ डीएसएम विनियम और इसके संशोधनों के अनुसार राज्य के लिए लागू मात्रा सीमा से संबद्ध होगी।

ग) जहां वितरण अनुज्ञप्तिधारी और क्रेता की पीक मांग पूर्व वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड की गई पीक मांग या आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित पीक मांग जो भी अधिक हो में रिकार्ड की जाएगी।

ii) अनुसूची के 12% की अधिकता में या एक ओएमडब्ल्यू, जो भी कम हो में टाइमब्लॉक में विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण के लिए (पवन एवं सौर उत्पादकों के अलावा) विचलन के लिए प्रभार ज़ीरो होगा।

विनियमों में सौर एवं पवन उत्पादकों (यदि वे अनुसूची से विचलन के लिए बाध्य करते है) द्वारा अदा किए जाने वाले विचलन प्रभारों, विचलन मात्रा से संबंधित सीमाएं और सीमाओं को पार करने के लिए परिणाम, विचलन के अतिरिक्त प्रभार, अनुसूचीकरण एवं प्रेषण, गेम को हटाना, ऊर्जा लेखांकन और व्यवस्थापन, राज्य डीएसएम लेखा का प्रचालन इत्यादि की व्यवस्था है।

5) हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी के लिए अनुज्ञप्ति की निबंधन व शर्तें) विनियम 2020

एचईआरसी ने 18.09.2020 को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी के लिए अनुज्ञप्ति की निबंधन व शर्तें) विनियम 2020 को अधिसूचित किया। विनियम में अनुज्ञप्तिधारियों को उत्तरदायी ठहराने और एचईआरसी फीस विनियमों के अनुसार एचईआरसी को वार्षिक फीस अदा करने पर विचार किया गया है और जिसमें असफलता की स्थिति में एचईआरसी डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी के रूप में किसी गतिविधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी को अपवर्जित कर सकता है। अनुज्ञप्तिधारी से अपेक्षित है कि वह विकास में एचईआरसी सहभागिता और सहायता करे, किसी मानकों को जारी और एचईआरसी द्वारा अधिसूचित या प्रस्तावित किसी मानक, कोड और क्रियाविधियों को जारी और उनकी समीक्षा करें। विनियम अगले परवर्ती 10 वर्षों प्रत्येक में आपूर्ति के क्षेत्र के अंदर मांग के पूर्वानुमान के लिए अनुज्ञप्तिधारी को निर्देश देता है और एचईआरसी को उसे प्रस्तुत करने का भी निर्देश देता है। अनुज्ञप्तिधारियों से हरियाणा के लिए विद्युत मांग पूर्वानुमान को तैयार करने में एसटीयू के साथ सहयोग अपेक्षित है। इसके अलावा अनुज्ञप्तिधारी को मितव्ययी और पारदर्शी विद्युत प्राप्ति प्रक्रिया को सुनिश्चित करना होगा और उत्पादक के आउटेज के मामले में वैकल्पिक स्रोतों से विद्युत उपलब्ध करवानी होगा या उन परिस्थितियों में जहां कोई विद्युत अंतरराज्यिक पारेषण कॉरिडोर में संकुलता के कारण पारेषित नहीं की जा सकती, वहां भी उपलब्ध करवानी होगी। वैकल्पिक विद्युत प्रभारों की अनुपस्थिति में एचईआरसी द्वारा यथाअवधारित संगत श्रेणी के टैरिफ के 1.5 गुणा के बराबर अस्थायी टैरिफ लागू होगा।

6) ओडीशा विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति) विनियम 2020

आईईआरसी ने सभी उत्पादन कंपनियों को और ओडीशा राज्य में पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को लागू ओडीशा विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत दुर्घटना के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति) विनियम 2020 को दिनांक 30.05.2020 को अधिसूचित किया। विनियम में सभी अनिवार्य सुरक्षा अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अनुज्ञप्तिधारियों को अधिदेश दिया गया है और ऊर्जा के उपयोग या उत्पादन, पारेषण, वितरण आपूर्ति में प्रयुक्त किसी उपकरण द्वारा हुई दुर्घटना से मनुष्य, पशु और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सुरक्षा मानकों की पूर्ति के लिए पूर्ति न कर पाने वाले अनुज्ञप्तिधारी विद्युत दुर्घटना के परिणामतः पशु/पक्षी या मनुष्य की हानि/चोट के लिए प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए दायी होंगे। विद्युत दुर्घटना के परिणामतः मानव जीवन की हानि के लिए प्रतिदेय प्रतिपूर्ति चार लाख/व्यक्ति होगी, 60% से अधिक की विकलांगता के मामले में व्यक्ति के लिए दो लाख रुपये/व्यक्ति होगी और 40% और 60% के बीच विकलांगता के मामले में 59,100 रुपये/व्यक्ति होगी। इसके अलावा एक सप्ताह से अधिक के लिए अस्पताल में अपेक्षित व्यक्ति के लिए 12,700 रुपये और एक सप्ताह से कम के अस्पताल की अपेक्षा के लिए 4300 रुपये/व्यक्ति की रकम अनुज्ञप्तिधारी की असावधानी के कारण हुए दुर्घटना के मामले में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिदेय होगी। विनियम में यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि इन विनियमों के अधीन क्षतिपूर्ति की मात्रा राज्य आपदा अनुक्रिया निधि तथा राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि द्वारा अपनाई गई सहायता के मांगदण्ड से कम नहीं होगी। यह संबंधित इंजीनियर का दायित्व होगा कि वह विद्युत दुर्घटना के 24 घण्टों के अंदर अनुज्ञप्ति/उत्पादन के सीईओ/प्रमुख विद्युत निरीक्षक को विद्युत दुर्घटना की रिपोर्ट भेजे। विस्तृत जाँच के बाद विद्युत निरीक्षक को अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी के सीईओ/मुख्य को विद्युत निरीक्षक के माध्यम से 30 दिन के अंदर विस्तृत जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिदेश है। उत्पादन कंपनी और अनुज्ञप्तिधारी, जैसी भी स्थिति हो, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में घटित होने वाले विद्युत दुर्घटना के ब्योरे तथा इन विनियमों के अनुसार उस पर की गई कार्रवाई के ब्योरे प्रत्येक परवर्ती माह की 15 तारीख तक ओईआरसी को प्रस्तुत करनी होगी।

7) यूपीईआरसी (विद्युत क्रय के इष्टतम और मैरिट क्रम प्रेषण) विनियम 2021

यूपीईआरसी (विद्युत क्रय के इष्टतम और मैरिट क्रम प्रेषण) विनियम 2021 ने दिनांक 13.02.2021 को अधिसूचित किया। यह विनियम उत्तर प्रदेश में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के विद्युत की आपूर्ति करने वाले कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों में उत्पादन कंपनियों, सभी वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, एसएलडीसी के लिए लागू होंगे। विनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक उत्पादन केन्द्रों की परवर्ती लागत को लेने के बाद अंतःराज्यिक और अंतरराज्यिक उत्पादन स्रोतों के लिए राज्य क्षेत्रों में मैरिट आर्डर स्टेक को तैयार करेंगे और एसएलडीसी को मैरिट आर्डर स्टेक प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा विनियम में यह वर्णित है कि एसएलडीसी क्रेताओं और विक्रेताओं के अनुसूचीकरण के समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अनुसूचीकरण प्रक्रिया के लिए मैरिट आर्डर स्टेक को कार्यान्वित भी करेगा। एसएलडीसी एमओडी स्टेक को संशोधित भी कर सकता है यदि यूपीईआरसी जारी किए गए और यूईआरसी के अनुमोदन के बाद वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यथाअधिसूचित पीपीए में विधि में परिवर्तन में प्रभाव के मामले में जारी किए उत्पादन टैरिफ ओदशों के कारण परवर्ती प्रभारों में पनुरीक्षण हुआ है। सिंगल पार्ट टैरिफ सहित अंतःराज्यिक उत्पादन केन्द्रों के लिए कुल टैरिफ एमओडी प्रयोजन के लिए परवर्ती प्रभार के रूप में माना जाएगा। वितरण अनुज्ञप्तिधारी न केवल परवर्ती प्रभार पर विचार करेगा बल्कि स्टार्टअप और शटडाउन लागतें, उत्पादकों की कमतर यूनिट भार के कारण क्षतिपूर्ति प्रभार तथा अपेक्षित अनुसूची तैयार करने के लिए किसी अन्य परवर्ती लागतों जैसी अन्य परवर्ती लागतों को पर भी विचार करेगा। अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम लागत अपेक्षित अनुसूचियों के उत्पादन के लिए प्रणाली दबावों और सभी परवर्ती लागतों पर विचार करने के लिए उन्नत इष्टतम संयंत्रों का उपयोग करना चाहिए। विनियम में वर्णित है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी और एसएलडीसी पीक मांग घण्टों के लिए सुचारू मार्गस्थ के लिए क्षमता वाले उपयुक्त आयोग द्वारा मान्य किसी अन्य तकनीक/स्रोत या जलाशय/पोंडेज आधारित हाइड्रो संयंत्रों या ऊर्जा स्टोरेज संयंत्रों की स्टोरेज क्षमता रैम्पिंग क्षमताओं पर भी विचार करेगा। एसएलडीसी फ्रिक्वेंवी स्थिरीकरण के लिए प्रणाली के स्पिनिंग रिज़र्व अपेक्षाओं की पर्याप्तता को सुनिश्चित करेगा। एसएलडीसी प्रणाली की सक्रिय रिज़र्व अपेक्षाओं अर्थात प्राथमिक नियंत्रण रिज़र्व, द्वितीयक नियंत्रण रिज़र्व, तृतीय नियंत्रण रिज़र्व का रखरखाव करेगा।

वितरण अनुज्ञप्तिधारी को समूची विद्युत प्राप्ति लागत को अधिकतम करने के लिए बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखने के बाद अधिक लागत के उत्पादन को प्रतिस्थापित करते हुए या घाटे के परिदृश्य के दौरान विद्युत के क्रय के लिए मौजूदा बाजार अवसरों पर विचार करना चाहिए। वितरण अनुज्ञप्तिधारी उस अवधि के लिए इसके कांट्रेक्ट किए गए इसके स्रोतों को ज़ीरों अनुसूची देने पर विचार कर सकते हैं जिसके दौरान मांग विद्युत प्राप्ति को इष्टतम करने

के लिए उपलब्ध कुल कांट्रेक्ट किए गए स्रोतों से कम होने की आशा है। विनियम में यह वर्णित है कि एसटीयू से संबद्ध कोयला फायर/गैस फायर/मल्टी ईंधन आधारित थर्मल उत्पादन यूनिट के संबंध में प्रचालन के लिए न्यूनतम तकनीक आईईजीसी के अधीन यथासंशोधित या इसकी संस्थापित क्षमता की 55% होगी।

राज्यों में अन्य विनियामक विकास

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, एसईआरसी ने उपरोक्त खंड में इंगित प्रमुख विनियामक हस्तक्षेपों के अतिरिक्त कई अन्य विनियामक हस्तक्षेपों को सम्मिलित किया है। राज्यों में संबंधित एसईआरसी द्वारा आरंभ किए गए कुछ अन्य विनियामक हस्तक्षेप नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

क्रमांक	आयोग का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कार्यान्वित विनियम	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जारी टैरिफ आदेश
1	असम विद्युत विनियामक आयोग	• वितरणफ्रेंचाइजी विनियम, 2020 के लिए रूपरेखा • एसईआरसी(फीस का भुगतान आदि) विनियम, 2020 • एईआरसी(पारेषण अनुज्ञप्तियां प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2020 • एईआरसी(विद्युत आपूर्ति कोड)(तृतीय संशोधन), विनियम, 2020	क) एपीजीसीएल, ख) एईजीसीएल और एसएलडीसी, ग) एपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू अप हेतु टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2021–21 के लिए एआरआर एवं टैरिफ
2	आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	• एपीईआरसी(उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता सहायता)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2021	क) एपीएसपीडीसीएल, ख) एपीईपीडीसीएल और ग) एपीसीपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु खुदरा आपूर्ति टैरिफ आदेश क) एपीएसपीडीसीएल, ख) एपीईपीडीसीएल के लिए वि.व. 2015, वि.व. 2017, वि.व. 2018, वि.व. 2019 हेतु ट्रू–अप के लिए आदेश
3	बिहार विद्युत विनियामक आयोग		क) एनबीपीडीसीएल और एसबीपीडीसीएल ख) एसएलडीसी ग) बीएसपीटीसीएल घ) बीजीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु टैरिफ आदेश
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग	• सीएसईआरसी (विद्युत के वितरण में प्रदर्शन के मानक) विनियमन–2020 • सीएसईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यता और आरईसी रूपरेखा कार्यान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 • सीएसईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण) (द्वितीय संशोधन), विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए विस्तृत टैरिफ आदेश क) सीएसपीजीसीएल, ख) सीएसपीटीसीएल, ग) एसएलडीसी घ) सीएसपीडीसीएल • सीएसपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतिम ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के अनंतिम ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर के अवधारण के संबंध में आदेश

5	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग	• डीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग)(द्वितीय संशोधन) दिशानिर्देश, 2020 • डीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग)(प्रथम संशोधन) दिशानिर्देश, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए टैरिफ आदेश क) आईपीजीसीएल ख) पीपीसीएल ग) डीटीएल घ) एनडीएमसी ङ) बीएसईएस–राजधानी पावर लिमिटेड च) बीएसईएस–यमुना पावर लिमिटेड छ) टीपीडीडीएल
6	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग	• जीईआरसी (आपूर्ति प्रदान करने में किए गए व्यय और अन्य विविध प्रभारों की वसूली के लिए अनुज्ञप्तिधारी शक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ अवधारण आदेश क) डीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, और पीजीवीसीएल ख) टीपीएल–जी ग) टीपीएल–डी (सूरत) घ) यूजीवीसीएल ङ) टीपीएल–डी (एएचडी) च) जीएससीईएल छ) गेटको ज) एसएलडीसी • वित्तीय वर्ष 2019–20 और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीपीसी का अवधारण
7	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग	• एचईआरसी (डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी के लिए अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 • एचईआरसी(विद्युत के अंतःराज्यिक पारेषण के लिए संचार प्रणाली) विनियम, 2020 • एचईआरसी(वितरण अनुज्ञप्तिधारियों का एसओपी और क्षतिपूर्ति का अवधारण) विनियम, 2020 • एचईआरसी(नियोक्ता कालोनियों, समूह आवास समितियों और विकासकर्ताओं और औद्योगिक संपदाओं/आईटी पार्कों/एसईजेड के आवासीय या आवासीय सह वाणिज्यिक/वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्सों को एकल बिंदु आपूर्ति) विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एआरआर का ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए एपीआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर का अवधारण, और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पारेषण टैरिफ और एसएलडीसी प्रभार • निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और वितरण और खुदरा आपूर्ति टैरिफ क) यूएचबीवीएनएल और ख) डीएचबीवीएन
8	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	• एचपीईआरसी(विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2020	• आरईसी तंत्र के अधीन वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए एपीपीसी का अवधारण।

9	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)	• जेईआरसी (पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिकरण) विनियम, 2020 • जेईआरसी (उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बहु वर्ष टैरिफ विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 का ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2020 –21 का एपीआर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण क) वद्युत विभाग, पारेषण प्रभाग, डीएनएच ख) डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग) विद्युत विभाग, दमन एवं दीव घ) पीपीसीएल ङ) पीईडी च) एलईडी छ) विद्युत विभाग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज) ईडब्ल्यूईडीसी झ) ईडीजी • वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए आरई स्रोत के लिए सामान्य टैरिफ आदेश
10	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)		• पीईडी, मिजोरम के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ आदेश • कोविड–19 महामारी के कारण संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान विलंबित भुगतान अधिभार में छूट के लिए आदेश
11	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग	• जेएसईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता पक्ष समर्थन के लिए दिशानिर्देश) विनियम, 2020 • जेएसईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए टी एंड सी) विनियम, 2020 • जेएसईआरसी (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए टी एंड सी) विनियम, 2020 • जेएसईआरसी (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिए टी एंड सी) विनियम, 2020 • जेएसईआरसी(राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा फीस और प्रभारों की वसूली और उदग्रहण) विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए ट्रू अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए एआरआर क) जेबीवीएनएल ख) डीवीसी ग) टीएसयूआईएसएल घ) टीएसएल ङ) टीपीसीएल • डीवीसी के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू अप • आईपीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू अप
12	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग	केईआरसी (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (11 वां संशोधन) विनियम, 2020 • केईआरसी (कर्नाटक राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्युत की आपूर्ति के निबंधन)(9वां संशोधन) 2020 • केईआरसी (प्रतिभूति जमा)(द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 • केईआरसी (पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के अन्य व्यवसाय से राजस्व का शेयरिंग) विनियम, 2020	• नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) के उद्देश्य से 2020 –21 के लिए एपीपीसी का ट्रू अप और 2021–22 के लिए अनंतिम एपीपीसी को अधिसूचित करना • वित्तीय वर्ष 21 के लिए टैरिफ आदेश और ट्रांसमिशन आदेश • निम्नलिखित हेतु वित्तीय वर्ष 21 के लिए टैरिफ आदेश और खुदरा आपूर्ति टैरिफ क) बीईएससीओएम, एमईएससीओएम, सीईएससी मैसूर, एचईएससीओएम, जीईएससीओएम ख) हुकेरी आरईसीएस ग) एमएसईजेड और एईक्यूयूएस एसईजेड

13	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग	• केएसईआरसी(टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020	• राज्य में अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विद्युत की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ की अनुसूची • निम्नलिखित हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए लेखों का ट्रूइंग अप क) मैसर्स टीसीईडी ख) सीएसईजेडए
14	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग	• एमईआरसी (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2020 • एमईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियम, 2020 • एमईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और विद्युत की गुणवत्ता सहित वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2021	• इसके अभ्यास निर्देशः कुछ सीमा तक कोविड–19 के प्रभावों को कम करने और औद्योगिक/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के कारोबार को बढ़ाने के लिए • आयोग ने वितरण लाइसेंसधारियों के टैरिफ आदेशों के अनुसार संबंधित श्रेणी के सामान्य टैरिफ के ऊपर 0.66/ किलोवाट घंटा के ग्रीन पावर टैरिफ को मंजूरी दे दी है, जो कि अपनी मांग को 100% हरित ऊर्जा से पूरा करने का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं पर लगाया जाएगा।
15	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	• एमपीईआरसी (विद्युत लाइन प्रदान करने या आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से उपयोग किए गए संयंत्र के लिए व्यय और अन्य प्रभारों की वसूली)(पुनरीक्षण– I), 2009 (एमपीईआरसी में सातवां संशोधन) [2000 का एआरजी–31(I)(vii)] • एमपीईआरसी (विद्युत की आपूर्ति और व्हीलिंग के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन व शर्तें और प्रभारों के निर्धारण के लिए पद्धतियां और सिद्धांत) विनियम, (तृतीय संशोधन) विनियम, (2015 का आरजी–35(II)	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ क) एमपीपीयूकेवीवीसीएल, ख) एमपीपीकेवीवीसीएल, ग) एमपीएमकेवीवीसीएल घ) एमपीपीएमसीएल
16	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग	• एमएसईआरसी (अंतः राज्यिक आवश्यक विश्वसनीयता सेवा प्रचालन) विनियम, 2020	• एमईपीटीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और पारेषण टैरिफ • एमईपीजीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और उत्पादन टैरिफ • एमईपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और खुदरा टैरिफ • एमईपीटीसीएल और एमईपीडीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए टैरिफ आदेश की समीक्षा • निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ट्रू–अप ऑर्डर क) एमईपीडीसीएल ख) एमपीटीसीएल ग) एमईपीजीसीएल
17	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग		• विद्युत विभाग, नागालैंड के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एआरआर

18	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग	• ओईआरसी (विद्युत दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा) विनियम, 2020 • ओईआरसी (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020 • ओईआरसी (अंतः राज्यिक निर्बाध पहुंच के निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और टैरिफ क) ओएचपीसी ख) ओपीजीसी ग) ग्रिडको घ) ओपीटीसीएल ङ) एसएलडीसी • निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ क) टीपीसीओडीएल ख) टीपीडब्ल्यूओडीएल ग) टीपीएसओडीएल घ) नेस्को
19	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग	• पीएसईआरसी (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2020 • पीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और संबद्ध मामले)(7वां संशोधन) विनियम, 2020 • पीएसईआरसी (फोरम और लोकपाल)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 • पीएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और संबद्ध मामले)(8वां संशोधन) विनियम, 2020 • पीएसईआरसी (नवीकरणीय खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु टैरिफ आदेश और दूसरी बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2022–23) के लिए एआरआर क) पीएसपीसीएल ख) पीएसटीसीएल
20	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग	• आरईआरसी (कारोबार का संव्यवहार) विनियम, 2021 • आरईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए एसओपी) विनियम, 2021 • आरईआरसी (पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों का एसओपी) विनियम, 2021 • आरईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड और संबद्ध मामले)विनियम, 2021 • आरईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम, 2020	• बायोमास, बायोगैस और बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए सामान्य टैरिफ का अवधारण और निम्नलिखित बायोमास विद्युत संयंत्रों के पुनरीक्षित परिवर्तनीय प्रभार क) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरंभ किए गए ख) वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आरंभ किए गए • निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु एआरआर के ट्रू–अप का अनुमोदन क) जेवीवीएनएल, ख) एवीवीएनएल ग) जेडीवीवीएनएल • निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु एआरआर के ट्रू अप का अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण क) पारेषण और एसएलडीसी ख) आरवीयूएन विद्युत स्टेशन

21	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामकआयोग	• एसएसईआरसी (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और वितरण के लिए टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन व शर्तें और बहु वर्ष टैरिफ रूपरेखा के अधीन खुदरा आपूर्ति) विनियम, 2020	• विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए टैरिफ आदेश और वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के लिए एआरआर)
22	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग	• टीईआरसी (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, लोकपाल और उपभोक्ता पक्ष समर्थन) विनियम, 2020	• कोरोना वायरस महामारी (कोविड–19) में राहत को ध्यान में रखते हुए जन संपर्क को कम करने के उपायों को लागू करने का आदेश • टीएसईसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 तक के ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020 –21 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ • टीपीजीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2020 –21 तक की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर का अवधारण और 2020 –21 के लिए उत्पादन टैरिफ
23	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग	• टीएनईआरसी में संशोधन (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता) विनियम, 2010 • तमिलनाडु आपूर्ति कोड और तमिलनाडु वितरण कोड में संशोधन	
24	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग	• टीएसईआरसी(मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2020 • टीएसईआरसी(नेट मीटरिंग रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियां)प्रथम संशोधन विनियमन, 2021 • टीएसईआरसी(उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र की स्थापना) द्वितीय संशोधन विनियम, 2021	• कोविड–19 के प्रभाव को कम करने पर स्वःप्रेरणा से आदेश • वित्तीय वर्ष 2019–20 से वित्तीय वर्ष 2023–24 की चौथी नियंत्रण अवधि के लिए वितरण कारोबार हेतु एआरआर और व्हीलिंग प्रभारों के अवधारण के लिए तेलंगाना राज्य की वितरण कंपनियों के लिए आदेश • वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए बाध्य इकाइयों के आरपीपीओ के अनुपालन का स्वःप्रेरणा से निर्धारण • वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए विद्युत खरीद की पूल्ड लागत का अवधारण जिस पर वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विचार किया जाएगा

25	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग	• यूपीईआरसी (मेरिट ऑर्डर प्रेषण एवं विद्युत की खरीद का इष्टतमीकरण) विनियम, 2021 • उ.प्र. विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियम (द्वितीय संशोधन), 2020 • यूपीईआरसी (राज्य भार प्रेषण केंद्र की फीस और प्रभार और अन्य संबद्ध मामले) विनियम, 2020	• राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु ट्रूइंग अप, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए एपीआर और वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए एआरआर और टैरिफ का अनुमोदन • यूपीपीटीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए एआरआर और टैरिफ का अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर और राजस्व का ट्रू–अप • एनपीसीएल के लिए वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए एआरआर और टैरिफ का अनुमोदन और वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एआरआर और राजस्व का ट्रू–अप • निम्नलिखित के लिए बहुवर्ष टैरिफ नियंत्रण अवधि (वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25) के लिए कारोबार योजना आदेश क) केईएससीओ, ख) एमवीवीएनएल, ग) डीवीवीएनएल, घ) पीवीवीएनएल, ङ) पीयूवीवीएनएल च) यूपीपीटीसीएल छ) एनपीसीएल
26	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग	• यूईआरसी(बहुवर्ष टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन व शर्तें)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 • यूईआरसी(विद्युत आपूर्ति कोड, नए कनेक्शन रिलीज करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2020	• निम्नलिखित के लिए वित्तीय वर्ष 2020 –21 के लिए टैरिफ आदेश क)यूपीसीएल ख) पीटीसीयूएल ग) यूजेवीएनएल घ) एसएलडीसी
27	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग	• डब्ल्यूबीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020 • डब्ल्यूबीईआरसी (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए फोरम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश और लोकपाल द्वारा ऐसी शिकायतों से निपटने का समय और ढंग) (प्रथम संशोधन), विनियम, 2020	• 5वीं नियंत्रण अवधि को सम्मिलित करते हुए वित्तीय वर्ष 2017–2018 के लिए आईपीसीएल का टैरिफ आवेदन • वित्तीय वर्ष 2018–2019 और वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए डब्ल्यूबीएसईटीसीएल का टैरिफ आवेदन • वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए एफपीपीसीए और एपीआर के लिए आईपीसीएल के आवेदन वित्तीय वर्ष 2006–2007 से वित्तीय वर्ष 2008–2009 की अवधि के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में डीवीसी की वितरण गतिविधि के संबंध में डीवीसी के दिनांक 19.06.2020 के टैरिफ आदेश के अनुसार निर्देशों के अनुपालन के संबंध में आदेश

4 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों की स्थिति

राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति में विद्युत के विक्रेता और व्यापारी के विरुद्ध उपभोक्ता के अधिकार का संरक्षण और संपूर्ण रूप से क्षेत्र के सतत विकास के लिए सभी को सामयिक व विश्वसनीय विद्युत उपलबध करवाने पर बल दिया गया है। एफओआर की सभी गतिविधियां इन मूलभूत सिद्धांतों के आसपास हैं। यह 'उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण और विद्युत क्षेत्र में कार्यकुशलता, किफायत और प्रतिस्पर्धा के लिए उपाय विकसित करना' के लिए एफओआर का परिभाषित लक्ष्यों में एक है।

उक्त निर्दिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए वित्तीय 2020–21 के दौरान फोरम द्वारा की गई गतिविधियां विस्तार से नीचे दी गई हैं:

- सदस्यों के विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए 11, 15 और 18 मई और 02 जून, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक के दौरान थर्मल विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी के कारण निवेश अनुमोदन/अनंतिम टैरिफ के संबंध में विद्युत मंत्रालय से किए गए संदर्भ पर विचार विमर्श किया। फोरम ने प्राथमिकता आधार पर थर्मल विद्युत संयंत्रों द्वारा एफजीडी के कारण निवेश अनुमोदन/अनंतिम टैरिफ से संबंधित याचिकाओं के निपटान के लिए आवश्यकता को नोट किया।
- बैठक के दौरान फोरम को मध्यकाल के लिए विद्युत की प्राप्ति के लिए मानक बोली दस्तावेजों के संदर्भ में एफओआर की कार्य ग्रुप की स्थिति पर अद्यतन किया गया। फोरम ने विद्युत के मध्यकालिक प्राप्ति के लिए एसबीडी पर मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा उपयुक्त कार्रवाई के लिए विद्युत मंत्रालय को कार्य ग्रुप की बैठक के विचार विमर्श/कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्णय लिया।
- फोरम ने विद्युत अधिनियम 2003 के संशोधन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल 2020 पर विचार विमर्श किया। यह समझते हुए कि प्रस्तावित संशोधनों का विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर कई प्रकार के प्रभाव होंगे इसलिए फोरम ने अपनी सिफारिशें देते हुए विस्तार में ड्राफ्ट संशोधनों के अध्ययन के लिए कार्यग्रुप गठित किया। विचार विमर्श के बाद फोरम ने कार्यग्रुप की सिफारिश को स्वीकार किया और विचार के लिए विद्युत मंत्रालय को फोरम की शिफारिशें अग्रेषित करने का निर्णय लिया।
- विडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 17 अगस्त, 2020 को आयोजित 72वीं बैठक के दौरान फोरम ने दीर्घकालिक कांट्रेक्टों में एनटीपीसी/एसईसीआई द्वारा प्रभारित व्यापार मार्जिन पर पीएसईआरसी से प्राप्त संदर्भ पर विचार विमर्श किया। मामला विवेचनीय था चूंकि इसने अंतिम उपभोक्ता टैरिफ पर और वितरण कंपनियों को विद्युत की लागत को प्रभावित किया। फोरम सहमत हुआ कि एसईआरसी एनआरई को संपर्क कर सकते हैं और एमएनआरई को तैयार होने वाले बोली मार्गनिर्देश/मानक बोली दस्तावेज में व्यापार मार्जिन अपफ्रंट को शामिल न करने का अनुरोध करें।
- बैठक के दौरान फोरम ने भारत में विद्युत बाजार के भावी विकास के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा प्रकाशित केविविआ विद्युत बाजार विनियम 2020 ड्राफ्ट पर विचार विमर्श किया और भारत में विद्युत बाजार के परिचानों पर होने वाले प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया।
- विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 21 और 29 सितंबर, 2020 को आयोजित फोरम की 73वीं बैठक के दौरान एफओआर ने विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ड्राफ्ट विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियमावली 2020 पर विचार विमर्श किया। फोरम ने प्रशंसा की कि यह मुद्दा देश में उपभोक्ताओं के संरक्षण के केन्द्र में है। एफओआर इस विचार से सहमत था कि अधिनियम में एसईआरसी/जेईआरसी के उपभोक्ताओं के अधिकारों के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व दिए गए हैं और कई ईआरसी ने इस प्रकार के विनियमों को पहले ही अधिसूचित किया है और कुछ मामलों में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की मांग करते हुए अधिक प्रगतिशील उपबंध बनाए गए हैं और इस प्रकार इस संदर्भ में विद्युत मंत्रालय द्वारा नियम को तैयार करना उचित नहीं होगा और

राज्य विनिर्दिष्ट विनियमों को तैयार करने के लिए संबंधित एसईआरसी/जेईआरसी को देना बेहतर होगा। विचार विमर्श के बाद फोरम ने निर्णय किया कि प्रस्तावित नियमावली पर एफओआर की अनुक्रिया डीईआरसी के अध्यक्ष द्वारा उनकी अध्यक्षता में एफओआर के सदस्यों की समिति ड्राफ्ट की जाएगी और इसमें यूपीईआरसी, ओईआरसी, टीईआरसी, डब्ल्यूबीईआरसी और जीईआरसी के अध्यक्ष भी शामिल होंगे।

- विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से 16 अक्तूबर, 2020 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक के दौरान फोरम ने खुदरा विद्युत टैरिफ को प्रभावित करने वाले घटकों के संबंध में विषयों पर डब्ल्यूबीईआरसी से संदर्भ पर विचार विमर्श किया। इस संदर्भ में विद्युत की उच्च लागत की ओर अग्रसर करने वाले विभिन्न घटकों को रेखांकित किया गया जिसमें कुछ विद्युत विनियामकों के नियंत्रण से बाहर थे। फोरम ने सहमति की कि इस संदर्भ में खुदरा टैरिफ की कम से कम कटौती या कमी के लिए उपाय विकसित करने और उसके विश्लेषण की आवश्यकता को शामिल किया। विचार विमर्श के बाद फोरम ने कार्यग्रुप गठित किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप में पीएसईआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु और जेईआरसी (गोवा एवं संघशाशित प्रदेश) के ईआरसी के अध्यक्षों को शामिल किया गया।
- विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से 27 फरवरी, 2021 को आयोजित एफओआर की विशेष बैठक के दौरान फोरम ने विद्युत ड्राफ्ट विद्युत (संशोधन) बिल 2021 को विचार विमर्श किया जिसका भारत में विद्युत वितरण के विभिन्न पहलुओं का विस्तार हुआ है। फोरम ने विद्युत मंत्रालय को विषय पर इसी सिफारिशों को अग्रेषित करने का निर्णय लिया।
- उपभोक्ता अधिकार संरक्षण की आवश्यकता पर विद्युत अधिनियम, टैरिफ नीति, राज्य विनियम, टैरिफ आदेशों इत्यादि के समन्वित घटक के रूप में विचार किया गया है और उपबंधों को अपने संबंधित राज्यों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और ओमबडसमैन की औपचारिक प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत के समाधान के लिए शामिल किया गया। विभिन्न डिस्कॉम/एसईआरसी में सिटिजन चार्टर और कार्यनिष्पादन विनियमों के मानकों को सामने लाए हैं। राज्यों में एसओपी विनियमों की समीक्षा में मानकों के स्तर तथा लागू क्षतिपूर्ति रकम (डिस्कॉम द्वारा एसओपी को गैर अनुपालन के लिए) के स्तर में व्यापक भिन्नताओं को रेखांकित किया गया। एसओपी पैरामीटरों के लिए गैर अनुपालन के मामले में मौजूदा क्षतिपूर्ति तंत्र में डिस्कॉम से क्षतिपूर्ति के दावे के लिए उपभोक्ता को उत्तरदायित्व रखा गया है। क्षतिपूर्ति के दावें के लिए प्रक्रिया सामान्यतौर पर लंबी और समय लगाने वाली हो सकती है और इससे सीजीआरएफ को शिकायत की वृद्धि की अपेक्षित संभावनाएं भी हो सकती हैं।
- इसे ध्यान में रखते हुए एफओआर ने 'भारत में विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण' पर अध्ययन किया। इस स्थिति को उपभोक्ता शिकायत निवारण और उपभोक्ता संरक्षण की समीक्षा पर केन्द्रित किया गया। रिपोर्ट में उपभोक्ता हित के संरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और विश्लेषित किया गया तथा तीन मुख्य शीर्षकों अर्थात उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण तंत्र और उपभोक्ता एडवोकेसी के अधीन वर्गीकृत किया गया। राज्यों में विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में उपलबब्ध सूचना और विभिन्न विनियमों की समीक्षा के आधार पर रिपोर्ट में भारत के विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण की विस्तार और सुधार के लिए उपायों का पता लगाया गया।

विनियामक फोरम का एक मुख्य उत्तरदायित्व विद्युत विनियामक आयोगों के कार्मिको का क्षमता निर्माण है। निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को वित्तीय वर्ष 2020–21 में फोरम द्वारा आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य उपभोक्ता हित का संरक्षण और टैरिफ निर्धारण के लिए अपने सदस्य ईआरसी के क्षमता की वृद्धि करना था।

1) एसईआरसी/जेईआरसी के ओमबडसमैन और सीजीआरएफ के अधिकारियों के लिए 'उपभोक्ता हित का संरक्षण' पर चार दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 से 19 फरवरी 2021 तक राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद द्वारा आयोजित किया गया।

2) 'विद्युत क्षेत्र में टैरिफ निर्धारण – उत्तम क्रियाविधि और उभरता विनियामक परिदृश्य' पर ईआरसी के अधिकारियों के लिए 14वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम 01 मार्च से 03 मार्च, 2021 तक वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा आयोजित किया गया।

3) एसईआरसी के अध्यक्ष/सदस्य के लिए तीसरा ग्लोबल विनियामक परिदृश्य कार्यक्रम 4–5 मार्च, 2021 और 11–12 मार्च, 2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय टैरिफ नीति और राष्ट्रीय विद्युत नीति में रेखांकित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर फोरम सदस्य ईआरसी के उपलब्धियां इस रिपोर्ट में निम्नानुसार दी गई हैं:

1) वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (अनुबंध– I)

2) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयबद्धता (अनुबंध–II)

3) 31 मार्च, 2021 के अनुसार ऐपटैल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीआरएफ और ओमबडसमैन के कार्य (अनुबंध–III)

5 केविविआ, एसईआरसी और जेईआरसी के अध्यक्षों की सूची

विनियामक फोरम (एफओआर) के सदस्य (31 मार्च, 2021 को स्थिति)

क्रमांक	नाम	आयोग का नाम
	विनियामक फोरम के अध्यक्ष	
1	श्री पी.के. पुजारी	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
	विनियामक फोरम के सदस्य	
2	जस्टिस (श्री) सी.वी. नागार्जुन रेड्डी	आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी)
3	रिक्त	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)
4	श्री कुमार संजय कृष्ण	असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी)
5	श्री शिशिर सिन्हा	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)
6	श्री डी. एस. मिश्रा	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीएसईआरसी)
7	जस्टिस (श्री) सत्येंद्र सिंह चौहान	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)
8	श्री आनंद कुमार	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी)
9	श्री आर. के. पचनंदा	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)
10	श्री डी. के. शर्मा	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एचपीईआरसी)
11	रिक्त	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएसईआरसी)
12	श्री एम. के. गोयल	गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
13	श्री लोकेश दत्त झा	जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी)
14	श्री लालछरलियाना पचुआउ	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एम एंड एम के लिए जेईआरसी)
15	श्री शंभू दयाल मीणा	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)
16	श्री प्रेमन दिनराज	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी)
17	श्री एस.पी.एस. परिहार	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसी)
18	श्री संजय कुमार	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी)
19	श्री पी.डब्लू. इंग्टी	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसी)
20	रिक्त	नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी)
21	श्री यू.एन. बेहरा	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी)
22	सुश्री कुसुमजीत सिद्धू	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसी)
23	श्री श्रीमत पाण्डेय	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)
24	रिक्त	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसएसईआरसी)
25	श्री एम. चंद्रशेखर	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी)
26	श्री टी. श्रीरंगा राव	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टीएसईआरसी)
27	श्री डी. राधाकृष्णन	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टीईआरसी)
28	श्री राज प्रताप सिंह	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)
29	रिक्त	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यूईआरसी)
30	श्री सुतीर्थ भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)

6 एफओआर की वार्षिक लेखा

सेवा में,

सचिव
विनियामक फोरम,
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ,
नई दिल्ली – 110 001

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा और प्राप्तियां और भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखापरीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त है। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक सेवाओं (क्षमता निर्माण एवं परामर्श सेवाओं के लिए) के लिए वर्ष के दौरान विनियामक फोरम द्वारा विद्युत मंत्रालय से प्राप्त रु. शून्य की वित्तीय सहायता की राशि में से रु. शून्य की शेष अव्ययित निधियां, वित्तीय वर्ष 2021–22 में आगे ले जाई गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया है:

क) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और

ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते **एवीएएन एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

ह0/–
(अनिल कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.: 094111
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 1 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएनः 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि - रु. में)

कोरपस/पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
कोरपस/पूंजी निधि	1	**3,70,10,643**	3,70,10,643
रिज़र्व एवं अधिशेष	2	**5,24,97,124**	4,73,94,323
निश्चित की गई/ बंदोबस्त निधियां	3	**0**	11,99,945
चालू देयताएं एवं प्रावधान	4	**86,29,063**	1,20,67,250
कुल		**9,81,36,830**	9,76,72,161
आस्तियां			
नियत आस्तियां	5	**67,680**	31,088
चालू आस्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	6	**9,80,69,150**	9,76,41,073
कुल		**9,81,36,830**	9,76,72,161
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195एन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं.094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि - रु. में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
आय			
फीस/अंशदान	7	**1,20,00,000**	1,83,92,012
विद्युत मंत्रालय से प्राप्त अनुदान	3	**-**	35,49,507
अर्जित ब्याज	8	**46,18,933**	53,42,342
अन्य आय	9	**-**	-
कुल (क)		**1,66,18,933**	2,72,83,861
व्यय			
स्थापना व्यय	10	**-**	-
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	11	**85,80,587**	1,41,33,171
उपयोग किए गए अनुदान (विद्युत मंत्रालय) :	3		
(क) क्षमता निर्माण		**-**	23,98,993
(ख) परामर्शदाता सेवाएं		**-**	11,50,514
मूल्यह्रास (अनुसूची 8 के अनुरूप वर्ष के अंत में निवल कुल)		**16,374**	7,661
पूर्व अवधि व्यय		**-**	-
कुल (ख)		**85,96,961**	1,76,90,339
आय के व्यय से आधिक्य होने पर शेष (क-ख)		**80,21,972**	95,93,522
कर के लिए प्रावधान (चालू वर्ष)		**25,38,641**	30,79,027
कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्ष)		**-**	-
सामान्य रिज़र्व को/से अंतरण		**54,83,331**	65,14,495
अधिशेष/(घाटा) का शेष कोरपस/पूंजी निधि में ले जाया गया		**-**	-
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	12		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट	13		

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195एन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं.094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 1 - कोरपस/पूंजीगत निधि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
वर्ष के आरंभ में शेष		**3,70,10,643**		3,70,10,643
जोडें: कोरपस/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-		-	
जोड़/(घटा):आय एवं व्यय खाते से अंतरित निवल आय/(व्यय) का शेष	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष		**3,70,10,643**		3,70,10,643

अनुसूची 2 -रिज़र्व एवं अधिशेष:	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
1. रिज़र्व पूंजी:				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
2. पूनर्मूल्यन रिज़र्व:				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
3. विशेष रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	-		-	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
4. सामान्य रिज़र्व				
अंतिम खाते के अनुसार	**4,73,94,323**		4,08,79,828	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	**54,83,331**		65,14,495	
घटा: वर्ष के दौरान कटौती	**3,80,530**	**5,24,97,124**	-	4,73,94,323
(viz. AY 18-19 = Rs.6,652/- & AY 19-20 = Rs.3,73,878/-)				
कुल		**5,24,97,124**		4,73,85,610

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195NएN

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआइएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	निधि-वार विवरण		
अनुसूची 3 - निश्चित की गई/बंदोबस्त निधियां	**योजना निधि**		**पूर्ववर्ती वर्ष**
क) निधियों का आरंभिक शेष		**11,99,945**	**0**
ख) निधियों में परिवर्धनः			
i. दान/अनुदान	-		
ii. निधियों से किए गए निवेशों से ब्याज	**22,557**	**22,557**	47,49,452
iii. राज्य ऐजेंसियों से प्राप्त रिफंड			
कुल (क+ख)		**12,22,502**	47,49,452
ग) निधियों के प्रयोजन से इनका उपयोग / व्यय			
i. पूंजीगत व्यय			
- नियत आस्तियां	-		
- अन्य	-	-	-
कुल (i)		-	-
ii. राजस्व व्यय			
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ते आदि।	-		
- किराया	-		
- अन्य प्रशासनिक खर्चे	-	-	35,49,507
iii. वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता (ब्याज सहित)		**12,22,502**	-
कुल (ii + iii)		**12,22,502**	35,49,507
कुल (ग) = (i + ii + iii)		**12,22,502**	35,49,507
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख-ग)		**0**	11,99,945

नोट

1} अनुदानों से जुड़ी शर्तों के आधार पर संगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकटीकरण किए जाएंगे।

2} केन्द्रीय/राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधियों को पृथक निधियों के रूप में दर्शाया जाएगा और किन्हीं अन्य निधियों के साथ मिलाया नहीं जाएगा।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
अनुसूची 4 - चालू देयताएं और प्रावधान				
क - चालू देयताएं				
1. स्वीकृतियां		-		-
2. विविध ऋणदाता :				
क) माल के लिए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. प्राप्त अग्रिम		-		-
4. उपचित परंतु देय नहीं ब्याज:				
क) जमानती ऋण/उधार	-		-	
ख) गैर-जमानती ऋण/उधार	-	-	-	-
5. सांविधिक देयताएं :				
क) अतिदेय	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
6. अन्य चालू देयताएं		-		-
कुल (क)		-		-
ख - प्रावधान				
1. कराधान के लिए				
(i) पूर्ववर्ती वर्ष	**47,06,527**		71,20,021	
(ii चालू वर्ष	**25,38,641**		30,79,027	
		72,45,168		1,01,99,048
2. ग्रेचुअटी		-		-
3. सेवानिवृत्ति/पेंशन		-		-
4. संचयित अवकाश नकदीकरण		-		-
5. व्यापार वारंटियां/दावे		-		-
6. अन्य:				
(i) प्रतिदेय विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	-		1,300	
(ii) प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस	**25,000**		25,000	
(iii) प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**4,05,113**		2,18,508	
(iv) प्रतिदेय कार्यालय व्यय	**774**		-	
(v) प्रतिदेय मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	-		-	
(vi) प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (एफओआर की निधि) व्यय	**28,324**		18,999	
(vii) प्रतिदेय व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता) व्यय	**86,487**		2,25,000	
(viii) प्रतिदेय अध्ययन एवं परामर्श (योजना निधि)	-		4,05,000	
(ix) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय (योजना निधि)	-		7,66,578	
(x) प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)	**4,49,180**		-	
(xii) संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	**6,927**		9,076	
(xiii) व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	**2,82,951**		1,54,570	
(xiv) सीजीएसटी+एसजीएसटी+आईजीएसटी पर प्रतिदेय टीडीएस	**68,529**		24,166	
(xv) प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	-		6,505	
(xvi) प्रतिदेय वेबसाइट व्यय	**30,610**	**13,83,895**	13,500	18,68,202
कुल (ख)		**86,29,063**		1,20,67,250
कुल (क) + (ख)		**86,29,063**		1,20,67,250

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची 5 - अचल आस्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास					निवल ब्लॉक	
	वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के आरंभ में आस्तियों पर वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत में
क. अचल आस्तियां											
1. भूमि:											
क) पूर्ण स्वामित्व	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन:											
क) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टे वाली भूमि पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व वाले फ्लैट/परिसर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) इकाई से संबंध न रखने वाली भूमि पर सुपरस्ट्रक्चर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संयंत्र और मशीनरी और उपस्कर	**52,023**	**-**	**-**	**52,023**	**33,053**	**2,846**	**-**	**-**	**35,899**	**16,124**	18,970
4. वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. फर्नीचर, फिक्सचर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. कार्यालय उपस्कर	**25,840**	**-**	**-**	**25,840**	**18,161**	**1,152**	**-**	**-**	**19,313**	**6,527**	7,679
7. कंप्यूटर/सहायक उपकरण	**6,83,783**	**52,966**	**-**	**7,36,749**	**6,79,344**	**12,376**	**-**	**-**	**6,91,720**	**45,029**	4,439
8. विद्युत अधिष्ठापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. लाईब्रेरी की पुस्तकें	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. ट्यूबवेल एवं जल आपूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. अन्य नियत आस्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**7,61,646**	**52,966**	**-**	**8,14,612**	**7,30,558**	**16,374**	**-**	**-**	**7,46,932**	**67,680**	31,088
पूर्ववर्ती वर्ष	7,61,646	-	-	7,61,646	7,22,897	7,661	-	-	7,30,558	31,088	
ख. पूंजीगत अर्धनिर्मित उत्पादन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
कुल	**7,61,646**	**52,966**	**-**	**8,14,612**	**7,30,558**	**16,374**	**-**	**-**	**7,46,932**	**67,680**	

उपर्युक्त सहित अवक्रय आधार पर आस्तियों की लागत के लिए नोट दिया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111
स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
क - चालू आस्तियां				
1. माल सूची :				
क) स्टोर और स्पेयर्स	-		-	
ख) खुले औजार	-		-	
ग) बिक्री के लिए माल				
तैयार माल	-		-	
अर्धनिर्मित उत्पादन	-		-	
कच्चा माल	-	-	-	-
2. विविध देनदार:				
क) 6 माह की अवधि से अधिक का बकाया कर्ज	-		-	
घटाए: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	-		-	
ख) अन्य	-	-	-	-
3. हाथ में नकदी शेष (चैक/ड्राफ्ट/अग्रदाय सहित)		24		24
4. बैंक शेष :				
क) अनुसूचित बैंकों के साथ :				
- चालू खातों पर	-		-	
- जमा खातों पर (मार्जिन राशि सहित)				
(i) नियत जमा	**3,70,10,644**		3,70,10,644	
(ii) ऑटो स्वीप/फ्लैक्सी जमा	**4,97,90,000**		4,86,00,000	
- बचत खातों पर				
(i) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं.. 000068)	**56,263**		15,225	
(ii) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (एसबी खाता सं. 1708 - MoP)	**0**		24,55,707	
		8,68,56,907		8,80,81,576
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ :				
चालू खातों पर	-		-	
जमा खातों पर	-		-	
बचत खातों पर	-	-	-	-
5. डाकघर बचत खाते		-		-
कुल (क)		**8,68,56,931**		8,80,81,600

जारी...2...

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -6- चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी.....)	चालू वर्ष		पूर्ववर्ती वर्ष	
ख - ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1. ऋण :				
क) स्टाफ	-		-	
ख) इकाई की तरह समान गतिविधियों/उद्देश्यों में लगी हुई अन्य इकाइयां	-		-	
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
2. नकद में या वस्तु के रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ :				
क) पूंजीगत लेखा पर	-		-	
ख) पूर्व भुगतान	-		-	
ग) अन्य				
(i) प्रतिभूति जमा (एमटीएनएल)				
पूर्ववर्ती वर्ष	-		3,000	
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया	-		(3,000)	
(ii) स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस):				
पूर्ववर्ती वर्ष	**10,16,887**		33,06,549	
चालू वर्ष	**3,38,464**		5,33,881	
(iii) आत्म मूल्यांकन कर:				
पूर्ववर्ती वर्ष	**4,73,000**		7,89,008	
(iv) प्राप्य सदस्यता शुल्क	**32,00,000**		-	
(v) जीएसटी (इनपुट) :				
चालू वर्ष	**7,46,555**		4,89,581	
जोड़ें: अग्रिम कर:				
पूर्ववर्ती वर्ष	**21,70,600**		17,18,000	
चालू वर्ष	**25,64,304**		21,70,600	
जोड़ें: प्राप्य जीएसटी (आउटपुट):				
चालू वर्ष	**5,76,000**		-	
जोड़ें: प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस:				
चालू वर्ष	**48,000**	**1,11,33,810**	60,000	90,67,619
3. प्रोद्भूत आय:				
क) उद्दीष्ट/बंदोबस्त निधियों से निवेश पर	-		-	
ख) निवेशों पर - अन्य	**78,409**		4,91,854	
ग) ऋणों एवं अग्रिमों पर	-		-	
घ) अन्य (रु. ..... की अप्राप्त देय आय सम्मिलित है)	-	**78,409**	-	4,91,854
4. प्राप्तियोग्य दावे		-		-
कुल (ख)		**1,12,12,219**		95,59,473
कुल (क+ख)		**9,80,69,150**		9,76,41,073

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2021 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

SCHEDULE -7- FEES/SUBSCRIPTIONS	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/अभिदान	**1,20,00,000**	1,83,92,012
3) संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4) परामर्शकारी शुल्क	-	-
5) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) आरटीआई शुल्क	-	-
कुल	**1,20,00,000**	1,83,92,012

नोट : प्रत्येक मद के लिए लेखांकन नीतियां दिखाई जाएं

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
अनिल कपूर	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 094111		

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2021 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -8- अर्जित ब्याज		चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1. सावधि जमा पर :			
क) अनुसूचित बैंकों में	(टीडीएस - रु.3,38,464)	**46,18,364**	53,38,616
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) संस्थानों में		-	-
घ) अन्य		-	-
2. बचत खातों पर :			
क) अनुसूचित बैंकों में		**569**	3,726
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में		-	-
ग) डाकघर बचत खाते		-	-
घ) अन्य		-	-
3. ऋणों पर :			
क) कर्मचारी/स्टाफ		-	-
ख) अन्य		-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्य राशियों पर ब्याज		-	-
कुल		**46,18,933**	53,42,342

नोट - स्रोत पर काटा गया कर दर्शाया जाए।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम
31 मार्च, 2021 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -9- अन्य आय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
1) परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ :		
क) स्वाधिकृत आस्तियाँ	-	-
ख) अनुदानों से अर्जित, या निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) वसूल किए गए निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4) विविध आय	-	-
5) देयताएं जिनकी आवश्यकता नहीं	-	-
कुल	-	-

अनुसूची -10- स्थापना व्यय	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) वेतन एवं मजदूरी	-	-
ख) भत्ते एवं बोनस	-	-
ग) भविष्य निधि में अंशदान	-	-
घ) अन्य निधि में अंशदान (निर्दिष्ट करें)	-	-
ङ) कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और सीमान्तक लाभ पर व्यय	-	-
छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/-
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/-
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआइएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम

31 मार्च, 2021 को अवधि/वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि - रु. में)

अनुसूची -11- अन्य प्रशासनिक खर्चे	चालू वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
क) क्रय	-	-
ख) मजदूरी एवं प्रसंस्करण प्रभार	**29,67,263**	25,77,820
ग) ढुलाई एवं आवक ढुलाई	-	-
घ) विद्युत एवं शक्ति	-	-
ङ) जल प्रभार	-	-
च) बीमा	-	-
छ) मरम्मत एवं रखरखाव	-	-
ज) उत्पाद शुल्क	-	-
झ) किराया, दरें एवं कर	-	-
ञ) वाहन संचालन एवं रखरखाव	-	-
ट) डाक, टेलिफोन एवं संचार प्रभार	**19,590**	19,549
ठ) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	**2,61,323**	3,980
ड) यात्रा एवं वाहन व्यय	-	2,096
ढ) सेमिनार/कार्यशालाओं पर व्यय	-	17,73,135
ण) अभिदान व्यय	-	-
त) फीस पर व्यय	-	-
थ) लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	**25,000**	25,000
द) आतिथ्य व्यय	-	-
ध) व्यावसायिक प्रभार	**13,75,306**	29,60,176
न) अशोध्य संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	3,000
प) अपलिखित अशोध्य शेष	-	-
फ) पैकिंग प्रभार	-	-
ब) भाड़ा एवं अग्रेषण व्यय	-	-
भ) वितरण व्यय	-	-
म) विज्ञापन एवं प्रचार (अतिरिक्त प्रावधान का निवल अपलिखित)	**63,781**	1,54,167
य) क्षमता निर्माण व परामर्श	**38,32,750**	66,10,919
कक) सचिवीय व्यय	-	-
कख) अन्य (निर्दिष्ट करें)		
i) अन्य व्यय (अतिरिक्त प्रावधान अपलिखित का निवल)	**21,074**	2,329
ii) वेबसाइट व्यय	**14,500**	-
iii) आत्म मूल्यांकन कर पर प्रदत्त ब्याज	-	-
iv) अपील के लिए फीस	-	1,000
कुल	**85,80,587**	1,41,33,171

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 017195Nएन

हस्ता/-	**हस्ता/-**	**हस्ता/-**
अनिल कपूर	**आंतरिक वित्तीय सलाहकार**	**सचिव**
(साझेदार)		
एम.सं. 094111		

स्थान : नई दिल्ली
तिथि: 01 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम

अनुसूची 12 एवं 13 : (31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. लेखांकन की पद्धति

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. नियत आस्तियां और मूल्यह्रास

नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है।

4. अनुदान

क्षमता निर्माण और परामर्श के लिए प्राप्त सरकारी अनुदान उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। अव्ययित अनुदान वापस किया गया है या देयता के रूप में दर्शाया गया है।

5. उत्तरवर्ती घटना को समायोजित करना

कर से संबंधित मामले

(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट और नि.व. 2016–17 के लिए – जांच मूल्यांकन

(i) एफओआर ने छूट प्रदान किए जाने की प्रत्याशा में दिनांक 13.12.2011 को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया और वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणों में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया। एफओआर छूट के लिए, सचिव, केविविआ/एफओआर की ओर से प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), अपर आयकर आयुक्त (मुख्या.–समन्वय) और अन्य आयकर अधिकारियों को पत्र भेजकर आयकर विभाग के पास मामले को प्रभावी रूप से उठा रहा है। तथापि, अभी तक कोई छूट प्राप्त नहीं हुई है।

(ii) दिनांक 06.09.2012 एवं 19.02.2013 को अवर सचिव, (आईटीए–I), सीबीडीटी, नई दिल्ली और एडीआईटी (ई), नई दिल्ली द्वारा सूचना/दस्तावेज की मांग की गई थी जिसे क्रमशः दिनांक 05.10.2012 एवं 15.03.2013 को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान, वित्तीय वर्षों 2005–06 से 2010–11 के लिए टीडीएस की रु. 18,84,216/– की राशि को आय एवं व्यय लेखा में वसूली के संदिग्ध के रूप में व्यवस्था की गई है।

(iii) एफओआर ने वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2015–16 के लिए छूट की प्रत्याशा में शून्य आय की संगणना करते हुए आयकर रिटर्न दर्ज किया है। वित्तीय वर्षों 2011–12 से 2014–15 से संबंधित मामला, अभी तक आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित है।

(iv) छूट की अनुपस्थिति में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व. 2016–17 (वित्त.व. 2015–16) के लिए रु.25,03,750/– का कर और रु.21,70,000/– का जुर्माना लगाया है। एफओआर ने कर का भुगतान किया है और जुर्माने के विरुद्ध सीआईटी (ए) के पास अपील दायर की है।

(v) इसके अतिरिक्त, दिनांक 31.07.2019 को केविविआ एवं एफओआर के उच्चतर अधिकारियों ने, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष से भेंट की जहाँ एफओआर के लिए छूट के अनुरोध से संबंधित मामले पर विस्तार से चर्चा हुई। तथापि, अध्यक्ष, सीबीडीटी को ज्ञात हुआ कि एफओआर को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किए जाने के लिए कोई समुचित आधार नहीं है। अध्यक्ष, एफओआर/केविविआ की ओर से दिनांक 11.09.2019 का अर्धशासकीय पत्र अध्यक्ष, सीबीडीटी को सकारात्मक निर्णय और एफओआर को छूट प्रदान किए जाने के अनुरोध के साथ भेजा गया। तथापि, कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। अतः भविष्य में एफओआर को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन छूट प्रदान किया जाना निश्चित नहीं है।

(vi) वित्त मंत्रालय ने 18 मार्च, 2020 को अपनी अधिसूचना द्वारा एक नई योजना अर्थात् **"विवाद से विश्वास योजना 2020"** आरंभ की है। आरंभ की गई योजना, प्रत्यक्ष करों के मामले में विवादों के समाधान के लिए है। उक्त योजना के अनुसार, विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज से संबंधित कोई भी अपील (31 जनवरी, 2020 को लंबित) का निपटान 31 मार्च, 2020 को या इससे पूर्व विवादित जुर्माने या विवादित ब्याज, जैसा भी मामला हो, के 25% (और इसके बाद 30 जून, 2020 को या इससे पूर्व 10% का अतिरिक्त भुगतान द्वारा) के भुगतान द्वारा किया जा सकता है। तथापि, अब इस योजना को 31 दिसम्बर, 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 11 मई, 2020 एवं 15 मई, 2020 को आयोजित एफओआर की 71वीं बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त योजना का लाभ उठाया जाए और नि.व. 2016–17 के लिए निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाए गए जुर्माने (जैसा कि उपर्युक्त मद (iv) में संदर्भित है) का भुगतान किया जाए और मामले को समाप्त किया जाए। तदनुसार, वित्त.व. 2020–21 के दौरान, एफओआर सचिवालय ने रु.5,42,500/– की राशि का भुगतान कुल जुर्माना राशि के 25% के लिए किया और 31 मार्च, 2021 को मामले के निपटान से संबंधित अंतिम आदेश लंबित है जिसे प्र.सीआईटी–16 से प्राप्त किया जाना है।

(vii) एएस–4 के अनुसार, उपर्युक्त वर्णित घटना, तुलन पत्र की तारीख के बाद उत्पन्न होने वाली समायोजन करने की घटना है, लेखों के नोट में जिसका समुचित प्रकटीकरण एतद् द्वारा किया गया है। तथापि, आयकर प्राधिकारियों के अधीन इस मामले की समाप्ति का दिनांक 15.06.2021 का अंतिम आदेश विधिवत प्राप्त हो चुका है।

6. आकस्मिक देयताएं

(i) वित्तीय वर्षों 2005–06 से 2014–15 के लिए आयकर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है और ब्याज/जुर्माना, यदि कोई हो, का निर्धारण और उपबंध नहीं किया गया है जो कि आयकर छूट प्राप्त नहीं होने की दशा में हो सकते हैं।

(ii) पूर्व वर्षों के लिए सेवा कर के लिए कोई उपबंध नहीं किया गया है।

7. अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए उपबंध

चालू वर्ष के दौरान, देनदार के लिए रु. **शून्य** की राशि बट्टे खाते डाली गई है। (पूर्ववर्ती वर्ष – **रु. 3,000/–**)।

8. सेवानिवृत्ति लाभ

एफओआर में कोई नियमित कर्मचारी नहीं हैं। अतः कोई सेवानिवृत्ति लाभ देय नहीं है / उपबंध नहीं किया गया है।

9. ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में जमा और एफडीआर में निवेश

ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में सावधि जमा और अल्पकालिक जमा को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

10. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनः व्यवस्था की गई।

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

विनियामक फोरम (एफओआर)

ह0/–
(अनिल कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं.ः 094111
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 1 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएनः 21094111।।।।श्रळ6330

ह0/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

ह0/–
सचिव

विनियामक फोरम

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

(राशि रु.में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020–21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019–20	भुगतान	चालू वर्ष 2020–21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019–20
1. आरंभिक शेष:			1. निम्नलिखित को रिलीज़:		
(क) नकद शेष	**23.75**	23.75	भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	–	–
(ख) बैंक शेष					
(i) बचत खाता:					
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) – बचत–सह–ऑटो स्वीप खाता	**48,615,225.25**	42,034,209.27			
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) – बचत खाता (योजना निधि)	**2,455,707.19**	12,000.07			
(ii) सावधि जमा (कोरपस निधि)	**37,010,643.73**	37,010,642.73			
2. निम्नलिखित से रिलीज़:			2. व्यय:		
भारत सरकार – विद्युत मंत्रालय – योजना निधि (क्षमता निर्माण एवं परामर्श के लिए)	–	4,696,220.00	**(क) बैठक एवं संगोष्ठी व्यय**	–	1,744,830.00
			(ख) व्यावसायिक शुल्क (स्टाफ परामर्शदाता)	**1,202,810.00**	2,650,180.00
			(ग) क्षमता निर्माण एवं परामर्शरू		
			– फोरम की निधि	**3,347,150.00**	6,610,919.00
			– योजना निधि	**2,394,080.00**	2,293,731.00
			(घ) प्रशासनिक व्यय:		
			– विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	**64,601.00**	152,867.00
			– अपील के लिए फीस	–	1,000.00
			– बैंक प्रभार (फोरम की निधि)	**870.25**	116.82
			– बैंक प्रभार (योजना निधि)	**5.90**	13.88
			– श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	**2,575,553.00**	2,354,852.00
			– विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	–	–
			– मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	**261,323.00**	3,980.00
			– व्यावसायिक प्रभार	**46,997.00**	39,997.00
			– टैलीफोन व्यय	**19,948.00**	13,044.00
			– यात्रा व्यय	–	2,096.00
			– वेबसाइट व्यय	–	–
			– अन्य व्यय रू		
			– कैंटीन व्यय	–	–

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020–21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019–20	भुगतान	चालू वर्ष 2020–21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019–20
			– ई–टीडीएस फाईल करने हेतु व्यय	**200.00**	200.00
			– टीडीएस एवं आयकर के भुगतान में विलंब के लिए ब्याज	–	–
			– वसूली–योग्य ब्याज पर टीडीएस	–	–
			– कार्यालय व्यय/लेखा परीक्षा व्यय	**7,400.00**	714.00
3. आयोग की प्राप्तियां			**3. (I) स्टाफ को अग्रिम**		
			(क) अन्य अग्रिम (व्यय)		
(क) सदस्यता शुल्क (फोरम की निधि)	**8,800,000.00**	18,392,011.80			
			(II) समायोजन/विप्रेषण/देयः		
(ख) फ्लेक्सी जमा/सावधि जमा रसीद से ब्याजः					
– फोरम की निधि	**2,371,334.00**	2,601,466.00	(क) प्रशासनिक व्यय	–	–
– कोरपस निधि	**2,548,928.00**	2,547,218.00	(ख) विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	**480.00**	1,270.00
			(ग) लेखा परीक्षा फीस	**25,000.00**	19,800.00
			(घ) कैंटीन व्यय	–	–
			(ङ) श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय (दायित्व का निवल)	**218,508.00**	193,260.00
			(च) व्यवसायिक प्रभार	**18,999.00**	18,949.00
(ग) बचत खातों से ब्याजः			(छ) व्यवसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	**225,000.00**	436,515.00
– फोरम की निधि	**569.00**	3,726.00	(ज) टेलीफोन व्यय	**6,147.00**	6,865.00
– योजना निधि	**22,563.00**	53,232.00	(झ) प्रशिक्षण अग्रिम (फोरम की निधि)	–	2,985,300.00
			(ञ) ऑटो स्वीप एफडीआर से ब्याज (फोरम की निधि)	**2.00**	–
			(ट) आयकर (अग्रिम कर, टीडीएस, जीएसटी एवं आत्म मूल्यांकन कर पर टीडीएस)	**3,264,219.00**	3,291,170.00
			(ठ) जीएसटी (आउटपुट)	**2,160,000.00**	1,260,330.00
			(ड) जीएसटी (इनपुट)	**1,149,581.00**	1,231,286.00
			(ढ) बैठक के लिए अग्रिम	–	152,000.00
			(ण) अध्ययन एवं परामर्श (योजना निधि)	–	–
			(त) कार्यालय व्यय/नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	**14,200.00**	15,000.00
			(थ)विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	**298,761.00**	110,051.00
			(द) सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	**91,286.00**	–
			(ध) मुद्रण एवं लेखन सामग्री	–	293,271.00
			(न) प्रशिक्षण व्यय	–	554,340.00
			(प) प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	**62,449.00**	–
			(III) अन्य द्वाराः		
			(क) अन्य व्यय	**518,380.00**	–
			(ख) कर के लिए प्रावधान (नि. व. 2016–17)	**542,500.00**	–

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष 2020–21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019–20	भुगतान	चालू वर्ष 2020–21	पूर्ववर्ती वर्ष 2019–20
4. जमा प्राप्तियां:			4. नियत आस्तियों पर व्यय:		
			(क) टेबलेट	**52,966.00**	–
			(ख) प्रिंटर	–	–
5. विप्रेषण प्राप्तियां			5. अंतिम शेष:		
			(क) नकद शेष	**23.75**	23.75
			(ख) बैंक शेष		
			(i) बचत खाता:		
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) बचत–सह–ऑटो स्वीप खाता	**49,846,263.00**	48,615,225.25
			यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पूर्व में कॉर्पोरेशन बैंक) – बचत खाता (योजना निधि)	**0.29**	2,455,707.19
			(ii) सावधि जमा (कॉरपस निधि)	**37,010,643.73**	37,010,643.73
6. अन्य प्राप्तियां					
– अन्य व्यय	**518,390.00**	–			
– प्राप्य सदस्यता फीस	–	600,000.00			
– बैठक के लिए अग्रिम	–	123,695.00			
– जीएसटी (इनपुट) दावा	**914,358.00**	–			
– प्राप्य आईजीएसटी पर टीडीएस	**74,449.00**	–			
– विज्ञापन, संविदा एवं व्यावसायिक शुल्क पर देय टीडीएस	**372,147.00**	–			
– सीजीएसटी, एसजीएसटी एवं आईजीएसटी पर देय टीडीएस	**135,649.00**	–			
– श्रम (आउटसोर्सिंग)	–	1,370.00			
– प्रशिक्षण के लिए अग्रिम	–	2,985,300.00			
– कार्यालय व्यय/नियत आस्तियों के लिए अग्रिम	**2,360.00**	2,433.00			
– जीएसटी (आउटपुट)	**1,584,000.00**	3,456,000.00			
कुल	**105,426,346.92**	114,519,547.62	**कुल**	**105,426,346.92**	114,519,547.62

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195एन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं.094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 1 अक्तूबर, 2021

यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

विनियामक फोरम

प्रथम तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ
नई दिल्ली – 110 001

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सरकार की वित्तीय सहायता का लेखा–विवरण

(राशि रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020–2021	वित्तीय वर्ष 2019–2020
प्रारंभिक शेष	**1,199,945**	–
जोड़ें:		
प्राप्त ब्याज **(टीडीएस = रु. शून्य)**	**22,557**	53,232
वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय से प्राप्त निधि	–	4,696,220
कुल (क)	**1,222,502**	4,749,452
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग:		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	–	1,150,500
क्षमता निर्माण	–	2,398,993
बैंक प्रभार	–	14
ब्याज अर्जित होने पर विद्युत मंत्रालय को वापस किया गया	**22,557**	–
अव्ययित वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस किया गया	**1,199,945**	–
कुल (ख)	**1,222,502**	**3,549,507**
कुल (क–ख)	**0**	**1,199,945**
शेष को अगले वर्ष में ले जाया गया	**0**	**1,199,945**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवीएएन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 017195Nएन

हस्ता/–
अनिल कपूर
(साझेदार)
एम.सं. 094111

हस्ता/–
आंतरिक वित्तीय सलाहकार

हस्ता/–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 1 अक्तूबर, 2021
यूडीआईएन सं.: 21094111AAAAJG6330

अनुबंध-I

केविविआ का अवधारित उत्पादन टैरिफ

क. थर्मल एवं गैस पावर स्टेशन का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

थर्मल पावर स्टेशन का नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

2020.21 के लिए टैरिफ विवरण (जेनको द्वारा जमा किए गए डाटा पर आधारित) एनटीपीसी उत्पादन थर्मल स्टेशन					
क्र. सं.	स्टेशन का नाम	31.03.2020 को संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	मानकीय नियत प्रभार* (रुपये / किलोवाट घण्टा)	ऊर्जा प्रभार दर (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल शुल्क (रुपये / किलोवाट घण्टा)
1	सिंगरोली एसटीपीएस	2000	0.65	1.39	2.04
2	रिहंद एसटीपीएस -I	1000	0.84	1.41	2.25
3	रिहंद एसटीपीएस –II	1000	0.70	1.41	2.11
4	रिहंद एसटीपीएस –III	1000	1.44	1.39	2.83
5	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार-I	420	1.08	3.04	4.12
6	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार -II	420	1.01	3.06	4.06
7	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार -III	210	1.34	3.08	4.42
8	एफजीयूटीपीएस उन्चाहार -IV	500	1.55	2.91	4.47
9	टांडा-I	440	1.26	3.31	4.57
10	टांडा -II	660	1.60	2.59	4.19
11	एनसीटीपीएस दादरी -I	840	0.97	3.32	4.29
12	एनसीटीपीएस दादरी-II	980	1.43	3.28	4.71
13	कोरबा एसटीपीएस -I&II	2100	0.68	1.39	2.07
14	कोरबा एसटीपीएस –III	500	1.38	1.36	2.75
15	सिपत एसटीपीएस -I	1980	1.30	1.39	2.69
16	सिपत एसटीपीएस –II	1000	1.23	1.44	2.68
17	विंध्याचल एसटीपीएस -I	1260	0.85	1.66	2.52
18	विंध्याचल एसटीपीएस -II	1000	0.70	1.59	2.29
19	विंध्याचल एसटीपीएस -III	1000	1.04	1.57	2.62
20	विंध्याचल एसटीपीएस -IV	1000	1.56	1.56	3.12
21	विंध्याचल एसटीपीएस -V	500	1.67	1.60	3.27
22	लारा	1600	1.67	2.03	3.70
23	सोलापुर	1320	1.72	3.06	4.78
24	मौदा एसटीपीएस -I	1000	1.87	2.71	4.59
25	मौदा एसटीपीएस -II	1320	1.48	2.90	4.39
26	गाडरवारा	1600	2.08	2.50	4.58
27	खरगोन	1320	1.81	2.71	4.52
28	तलचर एसटीपीएस –I	1000	0.96	2.00	2.95
29	तलचर एसटीपीएस –II	2000	0.71	1.97	2.69

30	तलचर टीपीएस	460	1.44	1.87	3.31
31	दर्लिपाली	800	2.11	1.08	3.20
32	कहलगाँव एसटीपीएस -I	840	1.05	2.23	3.28
33	कहलगाँव एसटीपीएस -II	1500	1.09	2.11	3.19
34	फरक्का एसटीपीएस -I&II	1600	0.82	2.70	3.52
35	फरक्का एसटीपीएस -III	500	1.49	2.66	4.14
36	बाढ़ एसटीपीएस –II	1320	1.84	2.65	4.48
37	बरौनी-I	220	0.73	3.38	4.11
38	बरौनी -II	250	2.43	2.64	5.06
39	बोंगेगाँव टीपीएस	750	2.40	3.37	5.77
40	रामागुंडम एसटीपीएस -I&II	2100	0.73	2.40	3.13
41	रामागुंडम एसटीपीएस -III	500	0.77	2.33	3.10
42	सिम्हादरी एसटीपीएस -I	1000	0.94	2.96	3.89
43	सिम्हादरी एसटीपीएस -II	1000	1.52	2.93	4.44
44	कुदगी	2400	1.66	3.15	4.81
2020.21 के लिए एनटीपीसी गैस स्टेशन टैरिफ					
45	फरीदाबाद	431.59	0.74	2.68	3.42
46	औरैया	663.36	0.63	3.51	4.15
47	दादरी	829.78	0.58	3.13	3.71
48	अंता	419.33	0.71	3.76	4.47
49	गंधार	657.39	1.06	2.13	3.18
50	कवास	656.20	0.84	2.00	2.83
51	कायमकुलम	359.58	1.14	6.71	7.85
2020.21 के लिए एनटीपीसी – जेवी स्टेशन टैरिफ					
52	एमयूएनपीएल, मेजा	1320	2.09	2.56	4.64
53	एपीसीपीएल, झज्जर	1500	1.62	3.25	4.87
54	एनटीईसीएल, वेल्यूर	1500	1.78	2.97	4.75
55	बीआरबीसीएल, नबीनगर	750	2.37	2.31	4.68
56	एनपीजीसीएल, नबीनगर	660	2.54	2.08	4.62
57	केबीयूएनएल, कांती-I	220	1.10	3.08	4.18
58	केबीयूएनएल, कांती –II	390	2.74	2.64	5.38
मैथों पावर लिमिटेड					
59	मैथों पावर लिमिटेड	1050	1.420	2.540	3.960
एनएलसी स्टेशन					
	उत्पादन स्टेशन का नाम	**संस्थापित क्षमता**	**ईसीआर (रुपये / किलोवाट घण्टा)**	**मानकीय नियत प्रभार (रुपये / किलोवाट घण्टा)**	**कुल टैरिफ (रुपये / किलोवाट घण्टा)**
60	टीएस-II स्टे-1	630	2.730	0.710	3.440
61	टीएस -II स्टे-2	840	2.735	0.736	3.471

62	टीपीएस-I Exp.	420	2.603	0.965	3.568
63	बीटीपीएस	250	1.092	2.308	3.400
64	टीपीएस-2 Exp.	500	2.602	2.309	4.911
65	एनटीपीएल	1000	2.842	1.553	4.395
66	एनएनटीपीपी	1000	2.307	1.804	4.111
	डीवीसी				
67	बीटीपीएस बी	210	0.770	2.612	3.382
68	डीटीपीएस	210	0.923	3.782	4.705
69	एमटीपीएस (1-3)	630	0.856	2.995	3.850
70	एमटीपीएस (4)	210	0.843	2.995	3.838
71	एमटीपीएस (5-6)	500	1.411	2.951	4.362
72	एमटीपीएस (7-8)	1000	1.452	2.789	4.241
73	सीटीपीएस (7-8)	500	1.580	2.568	4.148
74	डीएसटीपीएस	1000	1.573	2.929	4.502
75	केटीपीएस	1000	1.675	2.495	4.170
76	आरटीपीएस	1200	1.657	2.964	4.621
77	बीटीपीएस ए	500	2.200	2.266	4.466
	पीपीसीएल बवाना				
78	पीपीसीएल बवाना टीपीएस	1371.2	1.320	2.625	3.945
	ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लि., पलटाना परियोजना				
79	ओटीपीसी टीपीएस	671.2	1.490	1.788	3.278
	जीएमआर पावर				
80	जीकेईएल टीपीएस	1050	1.640	1.670	3.310
81	जीडब्ल्यूईएल	600	2.50	1.54	4.040
	नीपको गैस प्लांट				
82	एजीबीपी	291.00	1.387	2.041	3.428
83	एजीटीसीसीपी	135.00	1.893	1.803	3.696
84	टीजीबीपी	101.00	2.053	2.981	5.034
	यूपीसीएल				
85	यूडीयूपीआई टीपीएस	1200	1.459	3.276	4.735

*मानकीय संयंत्र उपलब्धता कारक के तदनुरुपी ऊर्जा पर आधारित गणना की गई।

टिप्पण: टैरिफ विवरण वर्ष 2020–21 के लिए संबंधित उत्पादन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार किया गया।

ख. हाइड्रो उत्पादन स्टेशन का समन्वित टैरिफ

हाइड्रो उत्पादन स्टेशन का समन्वित टैरिफ

क्र. सं.	हाइड्रो उत्पादन स्टेशन	संस्थापित क्षमता (एमडब्ल्यू)	यूनिट की संख्या/क्षमता	वार्षिक डिजाइन ऊर्जा (एमयू)	समन्वित टैरिफ (जेएण्डके के लिए जल कर सहित) (रू0 किलोवाट घण्टा)
			एनएचपीसी		
1	बैरास्यूल	180	(3 x 60)	779.28	2.040
2	सलाल	690	(6 x 115)	3082	2.351
3	टनकपुर	94.2	(3 x 31.4)	452.19	3.297
4	चमेरा -I	540	(3 x 180)	1664.55	2.282
5	यूरी	480	(4 x 120)	2587.38	2.106
6	चमेरा -II	300	(3 x 100)	1499.89	2.009
7	धौलीगंगा	280	(4 x 70)	1134.69	2.430
8	दुलहस्ती	390	(3 x 130)	1906.8	6.002
9	लोकटक	105	(3 x 35)	448	3.858
10	रंगित	60	(3 x 20)	338.61	3.810
11	तिस्ता -V	510	(3 x 170)	2572.7	2.326
12	यूरी -II	240	(4 x 60)	1123.77	5.155
13	नीम बाज़गो	45	(3 x 15)	239.33	10.688
14	चटक	44	(4 x 11)	212.93	9.237
15	सेवा -II	120	(3 x 40)	533.53	5.485
16	चमेरा -III	231	(3 x 77)	1108.17	3.940
17	पारबती -III	520	(4 x 130)	1963.29	3.079
18	टीएलडीपी - III	132	(3 x 44)	594.07	5.030
19	टीएलडीपी - IV	160	(4x40)	720	4.622
20	किशनगंगा	330	(3x110)	1712.96	4.101
			तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड		
21	तीस्ता -III	1200	(200*6)	5213.82	5.83
			एसजेवीएनएल		
22	नाफ्ताझाकरी	1500	(250x6)	6612	2.276
23	रामपुर	412	(68.67x6)	1878.08	4.318
			नीपको		
24	रंगानदी	405	(3x135)	1509.69	1.953
25	कोपिली एसटी-I	200	(4x50)	1186.14	1.094
26	कोपिली एसटी-II	25	(1x25)	86.30	1.532
27	खंदोंग	50	(2x25)	227.61	1.573
28	दोयांग	75	(3x25)	227.24	5.147
29	टयूरियल	60	(2x30)	250.63	4.486
30	पारे	110	(2x55)	506.42	5.000
31	कामेंग	600	(4x150)		

			टीएचडीसी		
32	टिहरी	1000	(4x250)	2797	3.560
33	कोटेश्वर	400	(4x100)	1154.82	4.930
			एनएचडीसी		
34	इंदिरा सागर	1000	(8x125)	1442.7	3.740
35	ओमकारेश्वर	520	(8x65)	677.47	5.310
			डीवीसी		
36	मैथॉन	63.20	(2x20,1x23.20)	137	2.548
37	पंचेत	80	(2x40)	237	1.087
38	तलैया	4	(2x2)	-	7.882
			आईपीपी		
39	करछम वांगतू	1000	(4x250)	4559.77	3.388
			एनटीपीसी		
40	कोलडैम	800	(4x200)	3054.79	4.853

ग. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2020.21) (रुपये/किलोवाट घण्टा)
लघु हाइड्रो परियोजना	
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य और संघशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (5 एमडब्ल्यू से कम)	5.15
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व राज्य और संघशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	4.70
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से कम)	5.74
अन्य राज्य (5 एमडब्ल्यू से 25 एमडब्ल्यू)	5.68

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.62	5.26	7.88	0.11	7.77
हरियाणा	2.68	5.98	8.66	0.11	8.55
महाराष्ट्र	2.69	6.12	8.81	0.11	8.7
पंजाब	2.7	6.26	8.96	0.11	8.85
राजस्थान	2.62	5.22	7.85	0.11	7.73
तमिलनाडु	2.62	5.17	7.79	0.11	7.68
तेलंगाना	2.62	5.26	7.88	0.11	7.77
उत्तर प्रदेश	2.63	5.35	7.98	0.11	7.87
अन्य	2.65	5.62	8.27	0.11	8.16

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] एयर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.77	5.38	8.14	0.12	8.02
हरियाणा	2.82	6.12	8.94	0.12	8.82
महाराष्ट्र	2.84	6.26	9.09	0.12	8.97
पंजाब	2.85	6.4	9.25	0.12	9.13
राजस्थान	2.77	5.34	8.11	0.12	7.99
तमिलनाडु	2.76	5.29	8.05	0.12	7.93
तेलंगाना	2.77	5.38	8.14	0.12	8.02
उत्तर प्रदेश	2.77	5.47	8.25	0.12	8.12
अन्य	2.8	5.75	8.55	0.12	8.42

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.73	5.26	7.99	0.12	7.86
हरियाणा	2.78	5.98	8.77	0.12	8.65
महाराष्ट्र	2.79	6.12	8.91	0.12	8.79
पंजाब	2.8	6.26	9.06	0.12	8.94
राजस्थान	2.73	5.22	7.95	0.12	7.83
तमिलनाडु	2.72	5.17	7.89	0.12	7.77
तेलंगाना	2.73	5.26	7.99	0.12	7.86
उत्तर प्रदेश	2.74	5.35	8.08	0.12	7.96
अन्य	2.76	5.62	8.38	0.12	8.26

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] एयर कूल्ड कंडेनसर तथा ट्रेवलिंग ग्रेट बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.87	5.38	8.25	0.13	8.12
हरियाणा	2.93	6.12	9.05	0.13	8.92
महाराष्ट्र	2.94	6.26	9.2	0.13	9.07
पंजाब	2.95	6.4	9.35	0.13	9.22
राजस्थान	2.87	5.34	8.21	0.13	8.08
तमिलनाडु	2.87	5.29	8.16	0.13	8.02
तेलंगाना	2.87	5.38	8.25	0.13	8.12
उत्तर प्रदेश	2.88	5.47	8.35	0.13	8.22
अन्य	2.9	5.75	8.65	0.13	8.52

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.62	5.16	7.78	0.11	7.67
हरियाणा	2.67	5.88	8.55	0.11	8.44
महाराष्ट्र	2.68	6.01	8.69	0.11	8.58
पंजाब	2.69	6.15	8.84	0.11	8.73
राजस्थान	2.61	5.13	7.75	0.11	7.63
तमिलनाडु	2.61	5.08	7.69	0.11	7.58
तेलंगाना	2.62	5.16	7.78	0.11	7.67
उत्तर प्रदेश	2.62	5.25	7.88	0.11	7.77
अन्य	2.64	5.52	8.17	0.11	8.06

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] एयर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.76	5.28	8.04	0.12	7.92
हरियाणा	2.82	6.01	8.83	0.12	8.7
महाराष्ट्र	2.83	6.15	8.97	0.12	8.85
पंजाब	2.84	6.29	9.12	0.12	9
राजस्थान	2.76	5.25	8.01	0.12	7.88
तमिलनाडु	2.75	5.19	7.95	0.12	7.83
तेलंगाना	2.76	5.28	8.04	0.12	7.92
उत्तर प्रदेश	2.77	5.37	8.14	0.12	8.02
अन्य	2.79	5.65	8.44	0.12	8.31

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] वाटर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.72	5.16	7.88	0.12	7.76
हरियाणा	2.78	5.88	8.65	0.12	8.53
महाराष्ट्र	2.79	6.01	8.8	0.12	8.67
पंजाब	2.8	6.15	8.94	0.12	8.82
राजस्थान	2.72	5.13	7.85	0.12	7.73
तमिलनाडु	2.71	5.08	7.79	0.12	7.67
तेलंगाना	2.72	5.16	7.88	0.12	7.76
उत्तर प्रदेश	2.73	5.25	7.98	0.12	7.86
अन्य	2.75	5.52	8.27	0.12	8.15

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
रैंकिन साइकल प्रौद्योगिकी पर आधारित बायोमास पावर परियोजना [राइस स्ट्रा और जूलीफ्लोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अलावा] एयर कूल्ड कंडेनसर तथा एएफबीसी बॉयलर के साथ					
आंध्रप्रदेश	2.87	5.28	8.15	0.13	8.01

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
हरियाणा	2.92	6.01	8.93	0.13	8.8
महाराष्ट्र	2.93	6.15	9.08	0.13	8.95
पंजाब	2.94	6.29	9.23	0.13	9.1
राजस्थान	2.86	5.25	8.11	0.13	7.98
तमिलनाडु	2.86	5.19	8.05	0.13	7.92
तेलंगाना	2.87	5.28	8.15	0.13	8.01
उत्तर प्रदेश	2.87	5.37	8.25	0.13	8.11
अन्य	2.89	5.65	8.54	0.13	8.41

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बगासे आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आंध्रप्रदेश	2.91	3.45	6.36	0.16	6.2
हरियाणा	2.63	4.9	7.53	0.14	7.39
महाराष्ट्र	2.36	4.83	7.19	0.12	7.07
पंजाब	2.58	4.32	6.9	0.14	6.76
तमिलनाडु	2.27	3.71	5.99	0.12	5.86
तेलंगाना	2.51	3.45	5.96	0.14	5.82
उत्तर प्रदेश	2.94	3.85	6.79	0.16	6.63
अन्य	2.57	4.18	6.74	0.14	6.61

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2021–22)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2021–22)	वृद्धिशील मूल्यह्रास का लाभ (यदि प्राप्त हुआ)	शुद्ध स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन पर) (यदि प्राप्त हुआ)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास गैसीफायर आधारित पावर परियोजना					
आंध्रप्रदेश	2.58	4.85	7.43	0.08	7.35
हरियाणा	2.63	5.52	8.15	0.08	8.07
महाराष्ट्र	2.64	5.65	8.29	0.08	8.21
पंजाब	2.65	5.78	8.43	0.08	8.34
राजस्थान	2.58	4.82	7.4	0.08	7.32
तमिलनाडु	2.58	4.77	7.35	0.08	7.26
तेलंगाना	2.58	4.85	7.43	0.08	7.35
उत्तर प्रदेश	2.59	4.94	7.52	0.08	7.44
अन्य	2.61	5.19	7.79	0.08	7.71
बायोगैस आधारित पावर परियोजना					
बायोगैस	3.32	5.09	8.41	0.16	8.25

अनुबंध-II

एसईआरसी/जेईआरसी के टैरिफ आदेशों को जारी करने की समयबद्धता

क्र. सं.	राज्य	डिस्कॉम	वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागू टैरिफ आदेश			टिप्पणियां
			विनियम के अनुसार टैरिफ अनुमोदन की तारीख	टैरिफ अनुमोदन की वास्तविक तारीख	आदेश की प्रयोज्यता	
	अंडमान एवं निकोबार	विद्युत विभाग, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन (ईडी एएण्डएन)	31-मार्च-20	18-मई-20		महामारी (कोविड–19) के कारण देरी
	आंध्र प्रदेश	दक्षिणी पावर वितरण कंपनी लि. आंध्र प्रदेश (एसपीडीसीएल)	31-मार्च-20	10-फरवरी-20		
		पूर्वी पावर वितरण कंपनी लि. आंध्र प्रदेश (एपीईपीडीसीएल)	31-मार्च-20	10-फरवरी-20		
	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत प्रभाग, अरुणाचल प्रदेश (डीओपी, एपी)	31-मार्च-20	लागू नहीं		
	असम	असम पावर वितरण कंपनी लि. (एपीडीसीएल)	30-मार्च-20	7-मार्च-20		
	बिहार	उत्तर बिहार पावर वितरण कंपनी लि. (एनबीपीडीसीएल)	15-मार्च-20	20-मार्च-20		
		दक्षिण बिहार पावर वितरण कंपनी लि. (एसबीपीडीसीएल)	15-मार्च-20	20-मार्च-20		
	चंडीगढ	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (सीईडी)	1-अप्रैल-20	19-मई-20		कोविड–19 के कारण राष्ट्रीय पूर्णबंदी
	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ़ राज्य पावर वितरण कंपनी लि. (सीएसपीडीसीएल)	3/31/2020	5/30/2020		महामारी (कोविड–19) के कारण देरी
	दमन एवं दीव	दमन एवं दीव विद्युत विभाग (डीडीईडी)	3/31/2020	5/18/2020		महामारी (कोविड–19) के कारण देरी
	दादरा एवं नगर हवेली	दादरा एवं नगर हवेली पावर वितरण कार्पोरेशन लि. (डीएनएचपीडीसीएल)	4/1/2020	5/18/2020		कोविड–19 के कारण राष्ट्रीय पूर्णबंदी
	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	3/31/2020	8/29/2020		
		बीएसईएस यमुना	3/31/2020	8/29/2020		
		एनएमडीसी	3/31/2020	8/29/2020		

	गोवा	गोवा, विद्युत विभाग (ईडीजी)	4/1/2020	5/19/2020		कोविड–19 के कारण राष्ट्रीय पूर्णबंदी
	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लि. (डीजीवीसीएल)	3/31/2020	3/31/2020		
		मध्य गुजरात विज कंपनी लि. (एमजीवीसीएल)	3/31/2020	3/31/2020		
		उत्तर गुजरात विज कंपनी लि. (यूजीवीसीएल)	3/31/2020	3/31/2020		
		पश्चिम गुजरात विज कंपनी लि. (पीजीवीसीएल)	3/31/2020	3/31/2020		
		टोरंट पावर लि.–वितरण सूरत	3/31/2020	3/31/2020		
		टोरंट पावर लि. – वितरण अहमदाबाद	3/31/2020	3/31/2020		
	हरियाणा	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (यूएचबीवीएनएल)	3/31/2020	6/1/2020		
		दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लि. (डीएचबीवीएनएल)	3/31/2020	6/1/2020		
	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लि. (एचपीएसईबीएल)	3/31/2020	6/6/2020		
	झारखण्ड	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि.	3/31/2020	10/1/2020		महामारी (कोविड–19)
		दामोदर वैली कार्पोरेशन	3/31/2020	9/30/2020		महामारी (कोविड–19)
		टाटा स्टील यूटिलिटिज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (पूर्व में, जमशेदपुर यूटिलिटिज एण्ड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड)	3/31/2020	9/29/2020		महामारी (कोविड–19)
		टाटा स्टील लिमिटेड	3/31/2020	9/29/2020		महामारी (कोविड–19)
		स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लि.	3/31/2020	लागू नहीं		महामारी (कोविड–19)
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	3/30/2020	11/4/2020		
		एचईएससीओएम	3/30/2020	11/4/2020		
		एमईएससीओएम	3/30/2020	11/4/2020		
		जीईएससीओएम	3/30/2020	11/4/2020		
		सीईएससी	3/30/2020	11/4/2020		
	केरल	केएसईबी लिमिटेड	2/28/2020	11/4/2020		

	लक्षद्वीप	विद्युत विभाग, केन्द्रशासित लक्षद्वीप (एलईडी)	3/31/2020	5/18/2020		महामारी (कोविड–19) के कारण देरी
	मध्य प्रदेश	पूर्व डिस्कॉम	लागू नहीं	12/17/2020		
		पश्चिम डिस्कॉम	लागू नहीं	12/17/2020		
		सेन्ट्रल डिस्कॉम	लागू नहीं	12/17/2020		
	महाराष्ट्र	टाटा पावर कंपनी लि. (डिस्ट्रिब्यूशन)	3/31/2020	3/30/2020		
		आरइंफ्रा डी/अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुम्बई (एईएमएल)	3/31/2020	3/30/2020		
		महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)	3/31/2020	3/30/2020		
		बृहनमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एण्ड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बीईएसटी)	3/31/2020	3/30/2020		
	मणिपुर	मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	3/31/2020	3/20/2020		
	मेघालय	मेघालय पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एमईपीडीसीएल)	3/31/2020	3/25/2020		
	मिजोरम	पावर एण्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट (पीएण्डईडी) मिजोरम	3/30/2020	3/20/2020		
	नागालैण्ड	विद्युत विभाग, नागालैंड (डीपीएन)	3/31/2020	3/20/2020		
	ओडिशा	सीईएसयू	लागू नहीं	4/22/2020		
		एनईएससीओ	लागू नहीं	4/22/2020		
		एसओयूटीएचसीओ	लागू नहीं	3/29/2020		
		डब्ल्यूईएससीओ	लागू नहीं	4/22/2020		
	पुदुचेरी	पुदुचेरी इलेक्ट्रिसिटी विभाग (पीईडी)	4/1/2020	5/18/2020		कोविड–19 के कारण राष्ट्रीय पूर्णबंदी
	पंजाब	पंजाब राज्य पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	3/31/2020	6/1/2020		
	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं		
		जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं		
		जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं		

	सिक्किम	एनर्जी एण्ड पावर डिपार्टमेंट, सिक्किम (ईपीडीएस)	3/31/2020	3/16/2020		
	तेलंगाना	दक्षिण पावर वितरण कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना (टीएसएसपीडीसीएल)	3/29/2020	लागू नहीं		
		उत्तरी पावर वितरण कंपनी लिमिटेड, तेलंगाना (टीएसएनपीडीसीएल)	3/29/2020	लागू नहीं		
	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत कार्पोरेशन लि. (टीएसईसीएल)	3/31/2020	9/1/2020		
	तमिल नाडु	तमिलनाडु जेनरेशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लि. (टीएएनजीईडीसीओ)	3/31/2020	लागू नहीं		
	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (आगरा डिस्कॉम या डीवीवीएनएल)	3/31/2020	12/1/2020		
		मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (लखनऊ डिस्कॉम या एमवीवीएनएल)	3/31/2020	12/1/2020		
		पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (मेरठ डिस्कॉम या पीवीवीएनएल)	3/31/2020	12/1/2020		
		पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (वाराणसी डिस्कॉम या पीयूवीवीएनएल)	3/31/2020	12/1/2020		
		कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड	3/31/2020	12/1/2020		
		एनपीसीएल नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल)	3/31/2020	12/4/2020		
	उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि. (यूपीसीएल)	3/30/2020	4/18/2020		महामारी कोविड–19
	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	3/31/2020	लागू नहीं		
		सीईएससी लिमिटेड	3/31/2020	लागू नहीं		
		दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	3/31/2020	लागू नहीं		
		दुर्गापुर पावर लिमिटेड (डीपीएल)	3/31/2020	लागू नहीं		
		इण्डिया पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल)	3/31/2020	लागू नहीं		

स्रोत : एफओआर विनियामक वेबटूल

अनुबंध – III

सीजीआरएफ और ओमबडसमैन की कार्यप्रणाली

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान सीजीआरएफ और ओमबडसमैन के संबंध में रिक्त पदों का सार

क्र. सं.	राज्य	सीजीआरएफ के रिक्त पदों की स्थिति	ओमबडसमैन के रिक्त पदों की स्थिति
1	असम	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
2	आंध्र प्रदेश	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
3	अरुणाचल प्रदेश	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
4	बिहार	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।
5	दिल्ली	सीजीआरएफ एनडीएमसी एवं सीजीआरएफ बीवाईपीएल के दो पद रिक्त हैं।	कोई रिक्त पद नहीं है
6	गुजरात	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
7	हरियाणा	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।
8	हिमाचल प्रदेश	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
9	झारखण्ड	क्रमशः 25.8.2020, 7.11.2019 और 5.5.2020 से टीएएसयूआईएसएल, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जेएसईबी मेदीनगर और दामोदर वैली कार्पोरेशन मैथॉन झारखण्ड में अध्यक्ष/अध्यक्ष–एवं–सदस्य (विधि) के पद के लिए तीन रिक्तियां हैं।	01.12.2020 से ओमबडसमैन का पद रिक्त है।
10	कर्नाटक	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
11	केरल	12.06.2019 से अध्यक्ष (एसईआरसी द्वारा नामित) का एक पद रिक्त है।	कोई रिक्त पद नहीं है
12	मध्य प्रदेश	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।
13	महाराष्ट्र	अध्यक्ष का पद सीजीआरएफ 10 : कोल्हापुर, नासिक, ओरंगाबाद, अमरावती, नागपुर, कल्याण, बारामती, अकोला, वसई, माइंडस्पेस में रिक्त है। सदस्य (सीपीओ) का पद सीजीआरएफ 12 : भंडुप, कोल्हापुर, नासिक, ओरंगाबाद, अमरावती, कल्याण, नासिक, अकोला, वसई, पुणे, एईएमएल, बीईएसटी अंडरटेकिंग में रिक्त है। अध्यक्ष एवं सदस्य (सीपीओ) के रिक्त पद की स्थिति : आयोग ने दिनांक 25 नवंबर, 2020 के विज्ञापन के माध्यम से उक्त स्थानों पर अध्यक्ष एवं सदस्य (सीपीओं) के पद के लिए आवदेन आमंत्रित किए हैं। मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया के अधीन है। सदस्य अनुज्ञप्तिधारी के पद सीजीआरएफ 4 : अमरावती, नागपुर, कल्याण और वसई में रिक्त हैं। यह पद अमरावती, नागपुर और कल्याण सीजीआरएफ में अतिरिक्त कार्य करता है।	इलेक्ट्रिसिटी ओमबडसमैन (ईओ), मुंबई – अवधि जब से रिक्ति शुरू हुई – 06.04.2019 रिक्त पदों की स्थिति – 21 दिसंबर, 2018 को ईओ, मुंबई पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया। 16 जनवरी, 2019 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि थी। हालांकि, आयोग को कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। इस बीच, आयोग ने ईओ मुंबई का अतिरिक्त प्रभार ईओ नागपुर को दे दिया।

14	मेघालय	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
15	ओडिशा	सहयोजित सदस्य एवं सदस्य (वित्त) के दो पद रिक्त हैं।	कोई रिक्त पद नहीं है
16	पंजाब	पटियाला और लुधियाना में अध्यक्ष) के दो पद रिक्त हैं।	कोई रिक्त पद नहीं है
17	राजस्थान	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
18	तमिल नाडु	कोयम्बतूर ईडीसी/नॉर्थ–1 नं., चेंगलपट्टू ईडीसी–1 नं., चेन्नई ईडीसी (नॉर्थ)–2 नं., सलेम ईडीसी–1 नं., विल्लूपुरम ईडीसी–1 नं., विरुधुनगर ईडीसी–1 नं., तूतीकोरीन ईडीसी–1 नं. में सदस्य के पद के लिए आठ पद रिक्त हैं।	कोई रिक्त पद नहीं है
19	उत्तराखण्ड	सीजीआरएफ, चमोली, उत्तराखण्ड में अध्यक्ष (न्यायिक) का एक पद रिक्त है।	कोई रिक्त पद नहीं है
20	उत्तर प्रदेश	झांसी में सीजीआरएफ (छः न्यायिक सदस्य और सात तकनीकी सदस्य), चित्रकूट, अलीगढ़, वाराणसी, गोरखपुर, आज़मगढ़, मेरठ मुरादाबाद और सहारनपुर में न्यायिक सदस्य और तकनीकी सदस्य के पद के लिए तेरह रिक्तियां।	कोई रिक्त पद नहीं है
21	पश्चिम बंगाल	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।
22	जेईआरसी मणिपुर एवं मिजोरम	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
23	जेईआरसीएस गोवा एवं सभी केन्द्रशासित प्रदेश	क्रमशः 07.02.2020, 24.02.2021, 20.01.2018 और 01.12.2019 से गोवा, द्वीप समूह, दमन एवं दीव, दादर और नगर हेवली और लक्षद्वीप में अध्यक्ष के पद के लिए चार पद और क्रमशः अक्तूबर 2014, अगस्त 2013, 26.08.2014 और अप्रैल, 2010 से गोवा, द्वीप समूह, दमन एवं दीव, दादर और नगर हेवली और लक्षद्वीप में सदस्य (अनुज्ञधिारी) के पद के लिए चार पद।	कोई रिक्त पद नहीं है
24	छत्तीसगढ़	21.12.2017 से सदस्य, जगदलपुर के लिए एक रिक्ति खाली है।	कोई रिक्त पद नहीं है
25	त्रिपुरा	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
26	सिक्किम	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
27	नागालैंड	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है
28	तेलंगाना	कोई रिक्त पद नहीं है	कोई रिक्त पद नहीं है

ओमबडसमैन की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2020 से मार्च 2021

ओमबडसमैन की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2020 से मार्च 2021								
क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबडसमैन की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के अंत में बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक ओमबडसमैन की बैठकों की संख्या
1	असम	1	5	5	4	7	3	6
2	आंध्र प्रदेश	1	0	62	62	0	0	64
3	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4	बिहार	1	13	1	0	14	13	20
5	दिल्ली	1	8	25	26	7	0	30
6	गुजरात	1	11	99	41	69	48	107
7	हरियाणा	1	19	46	40	26	9	89
8	हिमाचल प्रदेश	1	56	40	37	59	23	17
9	झारखण्ड	1	13	3	3	13	13	153
10	कर्नाटक	1	7	26	29	4	0	48
11	केरल	1	43	54	43	54	9	50
12	मध्य प्रदेश	1	प्रस्तुत नहीं किया गया।					
13	महाराष्ट्र	2	47	93	123	15	0	140
14	मेघालय	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15	ओड़ीसा	2	21	186	155	52	15	178
16	पंजाब	1	19	77	76	20	शून्य	91
17	राजस्थान	1	52	53	61	44	शून्य	पूर्ण समय
18	तमिल नाडु	1	56	74	106	24	9	77
19	उत्तराखण्ड	1	23	32	34	21	4	0
20	उत्तर प्रदेश	1	433	193	183	443	307	87
21	पश्चिम बंगाल	2	269	31	25	275	127	18
22	(जेईआरसीएमएम) मणिपुर एवं मिज़ोरम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	जेईआरसी गोवा एवं सभी केन्दशासित प्रदेश	1	1	17	14	4	शून्य	7
24	छत्तीसगढ़	1	9	26	21	15	0	215
25	त्रिपुरा	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	नागालैंड	1	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
28	तेलंगाना	1	7	45	24	28	18	114

सीजीआरएफ की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2020 से मार्च 2021

सीजीआरएफ की शिकायतों के निपटान की स्थिति – अप्रैल 2020 से मार्च 2021

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	सीजीआरएफ का नाम	सीजीआरएफ की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक बकाया शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 माह से पुरानी है।	अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक सीजीआरएफ की बैठकों की संख्या
1	असम	एपीडीसीएल सिलचर, एपीडीसी डिब्रूगढ़, एपीडीसी तेजपुर, एपीडीसी गुवाहाटी, एपीडीसी जोरहाट, एपीडीसी नागांव, एपीडीसी रंगिया	7	5	1	0	6	5	0
2	आंध्र प्रदेश	एपीएसपीडीसीएल / त्रिपुरा / आंध्र प्रदेश एपीईपीडीसीएल / विशाखापत्तनम	2	620	357	579	420	232	165
3	अरुणाचल प्रदेश	नाहारलगून, पासीघाट, मिआओ दिरांग, ज़ीरो, आलो, तेजू	7	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4	बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर, गया	5	288	24	75	237	257	73
5	दिल्ली	टीपीडीडीएल, बीआरपीएल, बीवाईपीएल, एनडीएमसी	4	105	358	359	105	16	186
6	गुजरात	पीजीवीसीएल राजकोट, पीजीवीसीएल भावनगर, पीजीवीसीएल भुज, यूजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, डीजीवीसी, टीपीएल–अहमदाबाद, टीपीएल सूरत	11	127	751	790	88	23	282
7	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल डीएचबीवीएनएल	2	746	849	882	779	416	183
8	हिमाचल प्रदेश	कसुमति, शिमला	1	88	52	50	90	64	24
9	झारखण्ड	सेल बोकारो, जेयूएससीओ, टाटा स्टील लि., झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लि., विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, चाईबासा, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुमका, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, हजारीबाग, विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जेएसईबी, मेदीनीनगर, दामोदर वैली	9	199	23	21	200	181	153
10	कर्नाटक	बीईएससीओएम, एमईएससीओएम, एचईएससीओएम, जीईएससीओएम, सीईएससी	5	82	126	121	87	61	92
11	केरल	सीजीआरएफ कोट्टारक्कारा, सीजीआरएफ एर्नाकुलम, सीजीआरएफ कोझीकोड, सीजीआरएफ तृश्शूर, सीजीआरएफ त्रिवेंद्रम, सीजीआरएफ कोच्चि, सीजीआरएफ मुन्नार	7	369	455	424	400	68	227
12	मध्य प्रदेश	ईसीजीआरएफ जबलपुर, ईसीजीआरएफ इंदौर, ईसीजीआरएफ भोपाल	3	प्रस्तुत नहीं किया गया।					
13	महाराष्ट्र	भांडुप अर्बन जोन, कोल्हापुर जोन, नासिक जोन, कोंकण जोन, लातुर जोन, औरंगाबाद जोन, अमरावती जोन, पुणे जोन, नागपुर जोन, गोंदिया जोन, कल्याण जोन, जलगांव जोन, नांदेड जोन, बारामती जोन, चंद्रापुर जोन, अकोला जोन, बीईएसटी अंडरटेकिंग, एईएमएल–डी* टीपीसी–डी, माइंडस्पेस, गीगाप्लेक्स, एनयूपीएलआईपी (*एईएमएल–डी को पहले एफइंफ्रा–डी के नाम से जाना जाता था।)	24	228	596	353	449	153	418

14	मेघालय	मेघालय, सीजीआएफ	1	शून्य	4	1	2	1	1
15	ओड़ीशा	भुवनेश्वर, खुर्दा, कटक, धेनकानल, पारादीप, राउरकेला, बुर्ला, बोलनगीर, बालासोर, जयपुर रोड, ब्रह्मपुर, जेयपोर	12	383	6027	6035	375	172	765
16	पंजाब	पीएसपीसीएल, पटियाला	2	69	407	426	50	2	112
		लुधियाना		70	402	410	62	7	93
		कुल		139	809	836	112	9	205
17	राजस्थान	अजमेर, जयपुर, जोधपुर	3	19124	53263	49980	22407	3165	1774
18	तमिल नाडु	चेंगलापट्टू ईडीसी, चेन्नई ईडीसी (उत्तर) चेन्नई ईडीसी (पश्चिम), चेन्नई ईडीसी सेन्ट्रल चेन्नई ईडीसी/दक्षिण–I, चेन्नई ईडीसी–दक्षिण– II, कोयम्बत्तूर ईडीसी/मेट्रो, कोयम्बत्तूर ईडीसी/उत्तर, कोयम्बत्तूर ईडीसी, दक्षिण कड्डालोर ईडीसी, धरमपुरी ईडीसी, डिंगीगुल ईडीसी, इरोड ईडीसी, गोबी ईडीसी, कल्लाकुरुचि ईडीसी, कांचीपुरम ईडीसी, कन्याकुमारी ईडीसी, करुर ईडीसी, कृष्णागिरी ईडीसी, मदुरई ईडीसी, मदुरई ईडीसी/मेट्रो, मेत्तूर ईडीसी, नागापट्टिनम ईडीसी, नमक्कल ईडीसी, नीलगिरी ईडीसी, पल्लादम ईडीसी, पैरामब्लूर ईडीसी, पुडुकोट्टि ईडीसी, रामनाथपुरम ईडीसी, सलेम ईडीसी, सिवागंगई ईडीसी, तंजावुर ईडीसी, टीएचईएनआई विद्युत वितरण सर्किल तिरुपत्तूर ईडीसी, तिरुनेलवेली ईडीसी	44	237	2019	1768	472	108	186
19	उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आज़मगढ़, बस्ती, बरेली, चित्रकूट, फैज़ाबाद, गोंडा, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर, झांसी केईएससीओ कानपुर, कानपुर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी	20	4242	2324	2148	4418	2742	3061
20	उत्तराखण्ड	देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर (जी), उत्तरकाशी, कर्णप्रयाग, हलद्वानी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़	9	568	913	772	710	206	पूर्ण समय
21	पश्चिम बंगाल	सौविकधारा	20	9	583	581	11	0	0
22	(जेईआरसी) मणिपुर एवं मिजोरम	पीएण्डई विभाग, सीजीआरएफ, मिजोरम मणिपुर राज्य पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल), सीजीआरएफ मणिपुर	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग गोवा	गोवा, लक्षद्वीप, दमन एण्ड दीव, दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़, अंदमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, पुदुचेरी	7	59	361	373	47	16	323
24	सिक्किम	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	छत्तीसगढ़	रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, भिलाई	5	39	162	154	43	5	278
26	त्रिपुरा	टीएसईसीएल–सीजीआरएफ -I, सीजीआरएफ.II, टीएसईसीएल. सीजीआरएफ-III		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	नागालैंड	लागू नहीं।		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	तेलंगाना	टीएसएसपीडीसीएल-I एण्ड II, टीएसएनपीडीसीएल -I एण्ड II	4	456	735	776	415	168	178

टिप्पणियां

टिप्पणियां

टिप्पणियां

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालयः मार्फत केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)
तृतीय और चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली–110001
दूरभाष : 91–11–23753920फैक्स : 91–11–23752958